

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 972/2019

Bhanwar Lal Bhargava

Applicant


Versus

State of Rajasthan

Respondent

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance report of the Hon'ble Tribunal order dated 24.08.2020, on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board.	1-2
2.	DOCUMENTS	—
	Annex-1 - Photo copy of show cause notice dated 11.01.2021	3-5
	Annex-2 Photo copy of reply dated 25.01.2021 copy of letter of Municipal Board, Nokha.	6-7
	Annex-3 Photo copy of verification report	8-53


(Prema Lal Raigar)
Regional Officer, RSPCB,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
बीकानेर (राजस्थान) Bikaner

1

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 972/2019

Bhanwar Lal Bhargava

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent


**COMPLIANCE REPORT OF THE HON'BLE TRIBUNAL ORDER
DATED 24.08.2020, ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE
POLLUTION CONTROL BOARD.**

I, Prema Lal Raigar S/o Late Shri Shankar Lal , aged 47 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Bikaner (Raj.) do, hereby submits the compliance report as follows:-

- 1) That the Hon'ble Tribunal by order dated 24.08.2020 directed inter-alia as follows:-

“3. Let the State PCB take further steps in the matter. The State PCB may further require the Municipal Board to take steps for connectivity of sewage generation point to STP and utilization of treated effluent for non-potable/agriculture uses, taking into account direction of this Tribunal in order dated 21.05.2020 in Original Application No 593/2017, Paryavaran Suraksha samiti & anr. V. UOI & Ors. The PCB may file its action taken report before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

- 2) That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the State Board has issued a Show Cause Notice vide letter no F. 14/Tech-Bikaner (139-STP) RPCB/Plg/1449 dated 11.01.2021 for intended prosecution for violation of section 25/26 read with section



क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

43/44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 to Executive Officer, Municipal Board, Nokha. The photo copy of the show cause notice dated 11.01.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-1**.


3) That the Executive Officer, Municipal Board, Nokha vide letter dated 25.01.2021 submitted the reply in response to Show Cause Notice dated 11.01.2021, stating that:-

- a. The existing STP could not be repaired and operated due to non-availability of sufficient budget.
- b. The existing STP of 1 MLD was not sufficient for the increased quantity of sewage generated due to increased population density, hence the new Sewage Treatment Plant of higher capacity is proposed.
- c. The Municipal Board, Nokha has proposed 2 STP of 7 MLD and 4 MLD capacity at/near village-Madiya & at/near village-Charkara respectively. Municipal Board, Nokha has applied for Consent to establish to Board for above STPs.

The photo copy of the reply submitted by Municipal Board, Nokha is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

4) That the State Board has verified the reply submitted by Executive officer, Municipal Board, Nokha on dated 24.02.2021. The photo copy of verification report is annexed herewith and marked as **Annexure-3**.

That in the light of submissions made herein above, it is requested that the compliance report may kindly be taken on record.


(Prerna Lal Raigar)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Officer, RSPCB
बीकानेर (राजस्थान)
Bikaner



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-5159699, 5159604 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free Help Line No. : 18001806127 Ext. 7

Registered A/D & e-mail.

F14/Tech-Bikaner(139- STP)RPCB/Plg 1446-1450


Date: 11/01/2021

Executive Officer,
Municipal Board,
Nokha
Bikaner.

Sub.- Show Cause Notice for intended prosecution for violation of section 25/26 read with section 43/44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 for 01 MLD STP at Ward No.-7, Nokha, Tehsil- Nokha, Distt- Bikaner.

- Ref.:-1. Show cause notice for intended prosecution issued vide this office letter no. F14/Tech-Bikaner(139- STP)RPCB/Plg /2570-72 dated 12.02.2019.
2. This office letter no. F14/Tech-Bikaner(139-STP)RPCB/Plg/577-78 dated 06.09.2019.
3. Show cause notice for intended prosecution issued vide this office letter no. F14/Tech-Bikaner(139- STP)RPCB/Plg /975- 980 dated 28.02.2020.
4. O.B.H held on 18.06.2020.
5. Your letter dated 17.06.2020
6. This office letter dated 25.06.2020.
7. Show cause notice for intended prosecution issued vide this office letter dated 07.10.2020.

1. Whereas, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23/03/1974.
2. And whereas the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
3. And whereas keeping this in view the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter referred to as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are deemed necessary for the enforcement of the provisions of the aforesaid Act.
4. And whereas section 24 of the Water Act provides that no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determine in accordance with such standards as may be laid down by the State Board, to enter into any string or well or sewer or on land.
5. And whereas, section 25/26 of Water Act provides that no person shall without the previous consent of the State Board establish or take any step to establish, any industry, operation or process or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or make any new discharge of sewage or trade effluent.
6. And whereas, contravention of the provisions of section 24 and section 25/26 of the Water Act is a criminal offence, punishable under section 43 and 44 of Water Act.


अनील कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

7. And whereas, Municipal Board, Nokha, Bikaner is responsible, for operation of 01 MLD Sewage Treatment Plant located at Ward No.-7, Nokha, Bikaner.
8. And whereas the STP has been established and is being operated without prior Consent To Establish/ Consent To Operate under the provision of Water Act which is punishable offence under section 33, 43 & 44 of the Water Act.
9. And whereas, the STP was inspected on 21.12.2018 and 15.02.2019 by officials of the Board and found non-operational. It was also observed that untreated sewage is being bypassed and discharged on open land.
10. And whereas, a show cause notice was issued vide this office letter no. F.14/Tech-Bikaner (139-STP)/RPCB/Plg/975-980 dated 28.02.2020 for reasons mentioned therein and OBH was given to Municipal Board, which was held on 18.06.2020 and attended by officials who were directed to submit consent application by 30.06.2020.
11. And whereas, the Hon'ble NGT in its order passed on 24.08.2020 in the matter of O.A No. 972/2019 Bhanwar Lal Bhargava V/s State of Rajasthan has directed as follows:-

Let the State PCB take further steps in the matter. The state PCB may further require the Municipal Board to take steps for connectivity of the sewage generation points to STP and utilization of treated effluent for non-potable/agricultural uses, taking into account directions of this tribunal in order dated 21.05.2020 in original application no. 593/2017, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. V. UOI & Ors.

12. And whereas, a show cause for intended prosecution for violation of Water act was issued vide this office letter dated 07.10.2020.
13. And whereas, Municipal Board, Nokha has failed to submit any reply of the show cause notice issued vide letter dated 07.10.2020 or apply for CTO under the Water Act.
14. And Whereas the Hon'ble NGT in the matter of O.A No. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. V. UOI & Ors its order dated 28.08.2019 has given following directions regarding imposition of Environmental compensation for violation of the rules:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01.04.2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment".

15. And whereas the Hon'ble NGT in O.A no. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. V/s Union of India & Ors. in its order dated 21.09.2020 has inter-alia directed as under:-

- (i) That state may ensure that STPs meet the laid down norms and remedial action be taken wherever norms are not met.
- (ii) It must be ensured that no untreated sewage/effluent is discharged into any water body.

16. And whereas section 48 of the Water Act provides that where an offence under this Act has been committed by any Department of Government, the Head of

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

17. And whereas the above observations show that the Municipal Board has failed to comply with provisions of the Water Act in spite of repeated directions of the Board.

In view of the above, the State Board intends to initiate legal proceedings under section 33 and section 43/44 of the Water Act against the Municipal Board and officers responsible for its functioning.

If you have submission/reply to the intended action, you may submit your reply to this office along with copy to Regional Office, Bikaner by 25.01.2021 failing which the Board may file prosecution against the Municipal Council and responsible officers without further notice.

This bears approval of Competent Authority.


(Niraj Mathur)
GIC, Liquid Waste


Date: 

F14/Tech-Bikaner(139- STP)RPCB/Plg

Copy to following for information/ necessary action:-

1. Secretary, Local Self Government Department, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
2. Director, Local Bodies, Government of Rajasthan, G-3, Rajmahal Residency near Civil Lines Phatak, Jaipur
3. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Bikaner with request to follow up with Municipal Board.
4. Master File, Liquid Waste, RPCB, Jaipur.


GIC, Liquid Waste



क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा (बीकानेर)

क्रमांक : न.पा.नो./2020-21/

दिनांक

श्रीमान नीरज माथूर,

GIC, Liquid Waste

राज. प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,

4 इण्डस्ट्रीयल एरिया झालाना झूंगरी,

जयपुर।


विषय :- Show Cause for intended prosecution for violation of section 25/26 read with section 43/44 of the water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 for 01 MLD STP at Ward No.-7, Nokha, Tehsil-Nokha, Distt-Bikaner.

प्रसंग :- आपके कार्यालय पत्रांक F14/Tech-Bikaner(139-STP) RPCB/ P/LG 1446 Dated 11-01-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर पालिका नोखा के वार्ड नं 7 में स्थित 01 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा चाहे गये कारण बताओ नोटिस के संबंध में बिन्दुवार प्रत्युत्तर/वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. नगर पालिका नोखा द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्ड नं. 07 में 1 एमएलडी के STP का निर्माण M/S Enviro Infra Engineers Pvt Ltd. Delhi फर्म से करवाया गया था। जिसमें फर्म का तीन वर्ष का O&M था। उसके बाद पालिका स्तर से रख रखाव व संचालन किया जा रहा था।
2. जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण एवं जल अधिक क्षमता में आने पर तथा पालिका कार्मिकों को ट्रीटमेंट संचालन का पूर्णतया तकनीकी अनुभव नहीं होने आदि कई अन्य कारणों से उक्त ट्रीटमेंट प्लांट वर्ष 2018 में खराब हो गया था।
3. उक्त ट्रीटमेंट प्लांट खराब होने के कारण गन्दा पानी नगर पालिका द्वारा समीप के खातेदारों से लीज पर ली गयी कृषि भूमि में छोड़ा जाता है, जो सिंचाई के उपयोग में नहीं लिया जाता है।
4. ट्रीटमेंट प्लांट पर गन्दा पानी एकत्रित स्थल पर पालिका द्वारा फिनायल, ऑयल, डीजल, केरोसीन आदि का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है तथा फोगिंग भी करवायी जाती है। जिससे मच्छर आदि अन्य जीवाणु पैदा नहीं होते हैं।
5. ट्रीटमेंट प्लांट पर गन्दा पानी निर्धारित लीज भूमि पर ही स्टोरेज किया जाता है। परन्तु वर्षाती मौसम में कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी के बंधे टूटने पर गन्दा पानी पड़ोस के निजी खातेदारों की भूमि में चला जाता है। जिसके कारण उनकी फसल व पशु चारा आदि का नुकसान होता है। जिस नुकसान का आंकलन तहसीलदार/पटवारी/पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक से करवाया जाकर बाजार दर से सम्बन्धित से मुआवजे का भुगतान पालिका द्वारा किया जाता रहा है।
6. वार्ड नं 7 के ट्रीटमेंट प्लांट में स्टोरेज किये गन्दा पानी से आस-पास के लोगों के जीवन में कोई जोखिम नहीं भरा हुआ है। पर्यावरण दृष्टि से उक्त गन्दगी, कादा-कीचड़ को पालिका द्वारा समय-समय पर सफाई आदि का कार्य करवाया जाता है। विदित रहे कि उक्त STP आबादी से लगभग 01 किमी दूरी पर है, जिससे पब्लिक न्यूसेंस होने की कोई संभावना नहीं है।
7. वार्ड नं 7 स्थित 1 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना वर्ष 2014 में की गयी। जिस ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन की उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार तत्कालिन अधिकारियों द्वारा प्रदूषण विभाग से एनओसी नहीं ली जानी पायी गयी।
8. वर्तमान में वार्ड नं 7 के खराब एसटीपी के रिपेयरिंग कार्य का तकमीना भी बनाया गया। जिस पर कन्सलटेन्ट इंजिनियर द्वारा राशि 51.00 लाख का अनुमानित व्यय बताया गया। उक्त एसटीपी पर क्षमता से अधिक जल भराव होने व रिपेयरिंग कार्य पर अत्यधिक व्यय होने एवं पालिका के पास पर्याप्त बजट उपलब्धता के अभाव में एसटीपी की रिपेयरिंग नहीं करवायी जा सकी।
9. उक्त ट्रीटमेंट प्लांट जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण वर्तमान में पर्याप्त नहीं है। इससे उच्च क्षमता का नवीन ट्रीटमेंट प्लांट पालिका द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

10. विदित रहे कि नोखा शहरी क्षेत्र के बीचोबीच रेल्वे लाईन है। जिसके कारण शहर दो भागों (रेल्वे लाईन से पूर्व एवं पश्चिम) में विभाजित है। शहर के गन्दे पानी की समस्या समाधान हेतु नगर पालिका द्वारा डीपीआर तैयार करवायी गयी। जिसमें पूर्वी क्षेत्र के वार्ड नं 33 में 7 एमएलडी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वार्ड नं 7 में 4 एमएलडी का ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सीवरेज एवं वाटर सप्लाय प्रस्तावित की गयी है।
11. बिन्दू संख्या 10 के उपर्युक्त प्रस्ताव को राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की सीटी लेवल कमेटी (सीएलसी) की बीकानेर में आयोजित बैठक दिनांक 06.08.2018 में नोखा शहरी क्षेत्र में गन्दे पानी के निस्तारण हेतु सीवरेज एवं 2 एसटीपी निर्माण हेतु राशि 55.24 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी।
12. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण हेतु नगर पालिका के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण मण्डल बैठक दिनांक 02.11.2017 में भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव लिया जाकर स्वीकृति हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को भिजवाया गया।
13. स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश दिनांक 30.05.2018 एवं 19.05.2020 द्वारा एसटीपी हेतु भूमि क्रय करने की स्वीकृति जारी करने पर पालिका द्वारा एसटीपी निर्माण हेतु भूमि क्रय की जाकर RUDSICO को पालिका पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 30.06.2020 द्वारा नगरपालिका भूमि स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
14. RUIDP Phase IV में नगरपालिका नोखा के लिए स्वीकृत STP अन्तर्गत जोन नं. 01 ग्राम माडिया में स्थित नगरपालिका भूमि पर 7 MLD के STP हेतु राजस्थान राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल विभाग से नियमानुसार Application for Consent to Establish हेतु दिनांक 23.12.2020 को ओवदन किया जाकर निर्धारित शुल्क की राशि 60,000/- जरिये चालान द्वारा जमा करवायी जा चुकी है। ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र चालान की प्रति संलग्न है। अवलोकन फरमावे।
15. RUIDP Phase IV में नगरपालिका नोखा के लिए स्वीकृत STP अन्तर्गत जोन नं. 02 ग्राम चरकड़ा में स्थित नगरपालिका भूमि पर 4 MLD के STP हेतु राजस्थान राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल विभाग से नियमानुसार Application for Consent to Establish हेतु दिनांक 23.12.2020 को ओवदन किया जाकर निर्धारित शुल्क की राशि 48,000/- जरिये चालान द्वारा जमा करवायी जा चुकी है। ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र चालान की प्रति संलग्न है। अवलोकन फरमावे।
16. नगरपालिका नोखा कार्यालय पत्र क्रमांक 6122 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा श्रीमान मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को RUIDP Phase IV में स्वीकृत STP का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु संबंधित एजेन्सी को निर्देशित करने हेतु निवेदन भी किया गया है। प्रति संलग्न है।

अतः निवेदन है कि नोखा शहरी क्षेत्र में गन्दे पानी की समस्या निराकरण हेतु आरयूआईडीपी फेज IV में सीवरेज एवं एसटीपी हेतु राशि 55.24 करोड़ की परियोजना स्वीकृति के तहत नवीन एसटीपी के निर्माण संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन होने के पश्चात् गन्दे पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से विवेचित है कि नगरपालिका स्तर से गन्दे पानी समस्या के निराकरण हेतु 02 नवीन STP निर्माण हेतु समस्त विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस को कृपया दफ्तर दाखिल करने का श्रम करावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

- 5d -

अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका नोखा

दिनांक 25/01/21

क्रमांक : न.पा.नो./2020-21/6917

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
3. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, बीकानेर।

अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

सत्यापन रिपोर्ट

संदर्भ:- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा द्वारा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, वार्ड नम्बर 7, तहसील-नोखा, जिला-बीकानेर के सम्बन्ध में जारी Show Cause for intended prosecution for violation of section 25/26 read with section 43/44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 for 1 MLD STP at Ward No 7, Nokha, Tehsil-Nokha, Dist-Bikaner vide letter no 1449 dated 11.01.2021 के प्रत्युत्तर के सत्यापन बाबत।

मण्डल मुख्यालय के पत्र दिनांक 11.01.2021 के प्रत्युत्तर में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा ने दिनांक 25.01.2021 को पत्र लिखा जिसका की सत्यापन दिनांक 24.02.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया गया है। सत्यापन के दौरान कनिष्ठ अभियन्ता श्री सरफराज खान, नगर पालिका, नोखा के साथ सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, वार्ड नम्बर 7 का निरीक्षण किया गया जिसका की विवरण इस प्रकार से है:-


1. निरीक्षण के दौरान सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट पूर्णतः बन्द हालातों में पाया गया। अपितु प्लांट परिसर में व प्लांट के पास नगर पालिका द्वारा लीज पर ली गई कृषि भूमि पर गन्दा पानी एकत्रित पाया गया।
2. निरीक्षण के दौरान बिन्दु संख्या 5, 8, 10 से 16 के भौतिक सत्यापन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि नगर पालिका नोखा द्वारा प्रस्तुत की गई (प्रतिलिपि संलग्न)।
3. बिन्दु संख्या 4, 6, एवं 9 के भौतिक सत्यापन हेतु कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया था।
4. वार्ड नम्बर 7 स्थित 1 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना वर्ष 2014 में की गई तथा अकुशल श्रमिकों द्वारा सही से काम नहीं करने बाबत, जनसंख्या वृद्धि के कारण इत्यादि कारणों से ट्रीटमेन्ट प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर सका (कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, नोखा द्वारा प्रदत्त)।
5. निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि ने बताया कि नगर पालिका नोखा द्वारा 2 नवीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट माडिया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (7 एम.एल.डी.) एवं चरकरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (4 एम.एल.डी.) प्रस्तावित है एवं इस हेतु वार्ड नम्बर 7 एवं वार्ड नम्बर 32 में RUDSICO (PHASE IV) के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भूमि क्रय की जा चुकी है तथा आगामी कार्यवाही हेतु RUDSICO को पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 30.06.2020 द्वारा लिखा जा चुका है।
6. उपरोक्त प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की सम्मति स्थापना हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जा चुके हैं। RUDSICO (PHASE IV) के अन्तर्गत स्वीकृति सीवरेज ट्रीटमेन्ट का कार्य आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

दिनांक:- 24.02.2021

गारिमा
(गरिमा मिश्रा)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

C/s


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


(प्रमालाल रैगर)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा (बीकानेर)

क्रमांक : न.पा.नो. / 2020-21/6314

दिनांक 25/01/21

श्रीमान नीरज माथूर,
GIC, Liquid Waste
राज. प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,
4 इण्डस्ट्रीयल एरिया झालाना डूंगरी,
जयपुर।


विषय :- Show Cause for intended prosecution for violation of section 25/26 read with section 43/44 of the water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 for 01 MLD STP at Ward No.-7, Nokha, Tehsil-Nokha, Distt-Bikaner.

प्रसंग :- आपके कार्यालय पत्रांक F14/Tech-Bikaner(139-STP) RPCB/ PLG 1446
Dated 11-01-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर पालिका नोखा के वार्ड नं 7 में स्थित 01 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा चाहे गये कारण बताओ नोटिस के संबंध में बिन्दुवार प्रत्युत्तर/वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. नगर पालिका नोखा द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्ड नं. 07 में 1 एमएलडी के STP का निर्माण M/S Enviro Infra Engineers Pvt Ltd. Delhi फर्म से करवाया गया था। जिसमें फर्म का तीन वर्ष का O&M था। उसके बाद पालिका स्तर से रख रखाव व संचालन किया जा रहा था।
2. जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण एवं जल अधिक क्षमता में आने पर तथा पालिका कार्मिकों को ट्रीटमेंट संचालन का पूर्णतया तकनीकी अनुभव नहीं होने आदि कई अन्य कारणों से उक्त ट्रीटमेंट प्लांट वर्ष 2018 में खराब हो गया था।
3. उक्त ट्रीटमेंट प्लांट खराब होने के कारण गन्दा पानी नगर पालिका द्वारा समीप के खातेदारों से लीज पर ली गयी कृषि भूमि में छोड़ा जाता है, जो सिंचाई के उपयोग में नहीं लिया जाता है।
4. ट्रीटमेंट प्लांट पर गन्दा पानी एकत्रित स्थल पर पालिका द्वारा फिनायल, ऑयल, डीजल, केरोसीन आदि का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है तथा फोगिंग भी करवायी जाती है। जिससे मच्छर आदि अन्य जीवाणु पैदा नहीं होते हैं।
5. ट्रीटमेंट प्लांट पर गन्दा पानी निर्धारित लीज भूमि पर ही स्टोरेज किया जाता है। परन्तु वर्षाती मौसम में कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी के बंधे टूटने पर गन्दा पानी पड़ोस के निजी खातेदारों की भूमि में चला जाता है। जिसके कारण उनकी फसल व पशु चारा आदि का नुकसान होता है। जिस नुकसान का आंकलन तहसीलदार/पटवारी/पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक से करवाया जाकर बाजार दर से सम्बन्धित से मुआवजे का भुगतान पालिका द्वारा किया जाता रहा है।
6. वार्ड नं 7 के ट्रीटमेंट प्लांट में स्टोरेज किये गन्दा पानी से आस-पास के लोगों के जीवन में कोई जोखिम नहीं भरा हुआ है। पर्यावरण दृष्टि से उक्त गन्दगी, कादा-कीचड़ को पालिका द्वारा समय-समय पर सफाई आदि का कार्य करवाया जाता है। विदित रहे कि उक्त STP आबादी से लगभग 01 किमी दूरी पर है, जिससे पब्लिक न्यूसेंस होने की कोई संभावना नहीं है।
7. वार्ड नं 7 स्थित 1 एमएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना वर्ष 2014 में की गयी। जिस ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन की उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार तत्कालिन अधिकारियों द्वारा प्रदूषण विभाग से एनओसी नहीं ली जानी पायी गयी।
8. वर्तमान में वार्ड नं 7 के खराब एसटीपी के रिपेयरिंग कार्य का तकमीना भी बनाया गया। जिस पर कन्सलटेन्ट इंजिनियर द्वारा राशि 51.00 लाख का अनुमानित व्यय बताया गया। उक्त एसटीपी पर क्षमता से अधिक जल भराव होने व रिपेयरिंग कार्य पर अत्यधिक व्यय होने एवं पालिका के पास पर्याप्त बजट उपलब्धता के अभाव में एसटीपी की रिपेयरिंग नहीं करवायी जा सकी।
9. उक्त ट्रीटमेंट प्लांट जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण वर्तमान में पर्याप्त नहीं है। इससे उच्च क्षमता का नवीन ट्रीटमेंट प्लांट पालिका द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


25/01/21

प्रमाणित प्रतिलिपि
4
अधिसाथी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

10. विदित रहे कि नोखा शहरी क्षेत्र के बीचोबीच रेल्वे लाईन है। जिसके कारण शहर दो भागों (रेल्वे लाईन से पूर्व एवं पश्चिम) में विभाजित है। शहर के गन्दे पानी की समस्या समाधान हेतु नगर पालिका द्वारा डीपीआर तैयार करवायी गयी। जिसमें पूर्वी क्षेत्र के वार्ड नं 33 में 7 एमएलडी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वार्ड नं 7 में 4 एमएलडी का ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सीवरेज एवं वाटर सप्लाय प्रस्तावित की गयी है।
11. बिन्दू संख्या 10 के उपर्युक्त प्रस्ताव को राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की सीटी लेवल कमेटी (सीएलसी) की बीकानेर में आयोजित बैठक दिनांक 06.08.2018 में नोखा शहरी क्षेत्र में गन्दे पानी के निस्तारण हेतु सीवरेज एवं 2 एसटीपी निर्माण हेतु राशि 55.24 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी।
12. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण हेतु नगर पालिका के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण मण्डल बैठक दिनांक 02.11.2017 में भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव लिया जाकर स्वीकृति हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को भिजवाया गया।
13. स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश दिनांक 30.05.2018 एवं 19.05.2020 द्वारा एसटीपी हेतु भूमि क्रय करने की स्वीकृति जारी करने पर पालिका द्वारा एसटीपी निर्माण हेतु भूमि क्रय की जाकर RUDSICO को पालिका पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 30.06.2020 द्वारा नगरपालिका भूमि स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
14. RUIDP Phase IV में नगरपालिका नोखा के लिए स्वीकृत STP अन्तर्गत जोन नं. 01 ग्राम माडिया में स्थित नगरपालिका भूमि पर 7 MLD के STP हेतु राजस्थान राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल विभाग से नियमानुसार Application for Consent to Establish हेतु दिनांक 23.12.2020 को ओवदन किया जाकर निर्धारित शुल्क की राशि 60,000/- जरिये चालान द्वारा जमा करवायी जा चुकी है। ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र चालान की प्रति संलग्न है। अवलोकन फरमावे।
15. RUIDP Phase IV में नगरपालिका नोखा के लिए स्वीकृत STP अन्तर्गत जोन नं. 02 ग्राम चरकड़ा में स्थित नगरपालिका भूमि पर 4 MLD के STP हेतु राजस्थान राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल विभाग से नियमानुसार Application for Consent to Establish हेतु दिनांक 23.12.2020 को ओवदन किया जाकर निर्धारित शुल्क की राशि 48,000/- जरिये चालान द्वारा जमा करवायी जा चुकी है। ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र चालान की प्रति संलग्न है। अवलोकन फरमावे।
16. नगरपालिका नोखा कार्यालय पत्र क्रमांक 6122 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा श्रीमान मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को RUIDP Phase IV में स्वीकृत STP का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु संबंधित एजेन्सी को निर्देशित करने हेतु निवेदन भी किया गया है। प्रति संलग्न है।

अतः निवेदन है कि नोखा शहरी क्षेत्र में गन्दे पानी की समस्या निराकरण हेतु आरयूआईडीपी फेज IV में सीवरेज एवं एसटीपी हेतु राशि 55.24 करोड़ की परियोजना स्वीकृति के तहत नवीन एसटीपी के निर्माण संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन होने के पश्चात् गन्दे पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से विवेचित है कि नगरपालिका स्तर से गन्दे पानी समस्या के निराकरण हेतु 02 नवीन STP निर्माण हेतु समस्त विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गयी हैं। ऐसी स्थिति में इस संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस को कृपया दफतर दाखिल करने का श्रम करावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

क्रमांक : न.पा.नो./2020-21/6915-17

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
3. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, बीकानेर।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसाधी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

अधिसाधी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा
दिनांक 25/12/20

अधिसाधी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा
नगर पालिका, नोखा




AFFIDAVIT

I Sanjay Jain Proprietor/ Partner/ Authorized Signatory of M/s Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd. under take that the information furnished by me in schedule/annexure 1 to 14 and abstract of details of the Technical bid of the tender for the work of "Designing, constructing, erecting & commissioning of Sewage Treatment Plant (STP) of 1 MLD capacity at ward no 5 based on MBBR technology including O&M for 3 years on turnkey basis." is correct.

If any information is found to be incorrect, NAGAR PALIKA has right to reject my tender and to take action against me as per rules.



Authorized Signatory
Sanjay Jain
M/s. Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd.



Sanjay Jain
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर)

क्रमांक - न.पा.नो./निर्माण/2011-12/1388

दिनांक 07.12.2011

12

M/s Enviro Infra Engineering Pvt. Ltd.

B-6/83, Sector- XI, Rohini,

New Delhi - 110085

Sub :- Designing, construction, erecting & commissioning of Sewage Treatment Plant (STP) of 1 MLD capacity at Ward No. 05 Nokha Town Based on MBBR Technology.

Ref :- Tender Date 21.04.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगर पालिका नोखा क्षेत्र मे वार्ड नं. 05 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आपकी निविदा दिनांक 21.04.2011 को आप द्वारा प्रस्तुत निविदा दर स्वीकृत की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त कार्य टेण्डर की निर्धारित शर्तों के अनुसार मौके पर 15 दिवस के भीतर प्रारम्भ कर दें। उक्त कार्य हेतु निदेशालय जयपुर से तकनिकी स्वीकृति पत्र क्रमांक 5572 दिनांक 04.08.2011 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 8691 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त स्वीकृतियों के अनुसार भी वांछित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। उक्त कार्य निविदा में वर्णित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्धारित डिजाइन एवं ड्राईंग के अनुसार पालिका के कंसलटेंट मै. क्रियेटिव कम्प्यूटर्स, जयपुर की देखरेख एवं नियंत्रण में सम्पादित करावेंगे। कार्य अवधि 8 माह होगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 15 दिवस के भीतर-भीतर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर उपयुक्त स्टाम्प प्रस्तुत कर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे।

कार्य की लागत :- 1,39,55,000/- (O & M सहित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा
दिनांक 07.12.2011

क्रमांक :- न.पा.नो./निर्माण/2011-12/1389-93
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ (संलग्न उपरोक्तानुसार)

1. श्रीमान् अधिशायी अभियन्ता, नगर निगम, बीकानेर।
2. मै. क्रियेटिव कम्प्यूटर्स, बी-209 डी, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
3. कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, नोखा।
4. लेखापाल, नगर पालिका, नोखा।
5. कैशियर, नगर पालिका, नोखा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)




08 OCT 2018

राजस्थान राज्य	8 के अन्तर्गत
राजस्थान राज्य	कार
1. आधार	5000
2. गाय और	50
	कुल योग 5000
	हस्ताक्षर रजाम 20/10/18

- शपथ पत्र -

मानके राजेन्द्र कुमार पण्डित श्री दुर्गेश कुमार निवासी नोखा नगर तहसील नोखा जिला बीकानेर प्रथम पक्ष एवं अध्यक्ष/अधिकाारी नगर पालिका नोखा द्वितीय पक्ष तहसील नोखा जिला बीकानेर के है। जो कि हम पक्षकारान निम्नलिखित इकरार करते है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकारान का दिगर खातेदार के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 24, 27, 28, 29, 30, 43 तादादी 9.06 हैक्टर भूमि वाके नोखा नण्डी से है। जिसमें हम प्रथम पक्षकारान 1/4 हिस्सा है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष नगरपालिका नोखा को करबे के पश्चिमी हिस्से के गंदा पानी सीवर लाईन के माध्यम से करबे से बाहर छोड़ने के लिए भूमि की आवश्यकता है। हम प्रथम पक्षकारान सह खातेदारान की सहमति से अपने हिस्से की भूमि में गंदा पानी छोड़ने के लिए द्वितीय पक्ष को देने में सहमत है।
3. यह कि पक्षकारान के मध्य निम्न शरायते तय हुई है -
 - (क) यह कि प्रथम पक्षकारान खेत खसरा नम्बर 24, 27, 28, 29, 30, 43 तादादी 9.06 हैक्टर भूमि वाके नोखामण्डी में निहित अपना 1/4 हिस्सा तादादी 2.26 हैक्टर भूमि गंदा पानी छोड़ने हेतु नगर पालिका को एक वर्ष के बएवज 60000/- (अखरे साठ हजार मात्र) मुआवजा राशि पर देना तय पाया है।
 - (ख) द्वितीय पक्ष नगर पालिका नोखा गन्दे पानी को खुला छोड़े और किसी को आगे सप्लाई पर देका न दे तो एकत्रित पानी पर नगर पालिका नोखा को मच्छर निरोधक दवा छिड़कनी होगी।
 - (ग) यह कि द्वितीय पक्ष नगर पालिका को गंदा पानी चलान करने के लिए कच्ची नाली बनाने का अधिकारी होगा। इसमें हम प्रथम पक्षकारान को किसी प्रकार उज, ऐतराज न होगा और न करेंगे।
 - (घ) यह कि मुआवजा राशि द्वितीय पक्ष नगर पालिका को एक वर्ष की अग्रिम देनी होगी।
 - (ङ) यह कि हम प्रथम पक्षकारान ने अपने हिस्से की भूमि गंदा पानी छोड़ने के लिए द्वितीय पक्ष नगर पालिका नोखा को दो वर्ष की अवधि के लिए देना तय हुआ है। समयावधि पक्षकारान की सहमति से मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर बढ़ायी जा सकेगी।
 - (च) यह कि निर्धारित समयावधि पूर्व पक्षकारान छोड़े गये गंदे पानी एवं निकासी में किसी प्रकार की बाधा/रूकावट पैदा नही करेंगे।
4. यह कि मेरे हिस्से कि खाली भूमि पर खेती करू तो नगर पालिका को कोई ऐतराज नही होगा।
5. यह कि मुआवजा राशि मात्र दिनांक 10/10/2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।
6. यह कि उपरोक्त शरायतो पर प्रथम पक्षकारान भूमि देने एवं द्वितीय पक्ष भूमि लेने में सहमत है।
7. यह कि हम सभी पक्षकारान उक्ता भूमि की मुआवजा राशि श्री राजेन्द्र कुमार पण्डित 1/8 डूंगर मल को एक मुश्त भुगतान करने के लिए सहमत है।
8. यह कि हम पक्षकारान उपरोक्त शरायतो पर पाबन्द रहेगें।



ATTESTED

RAM PRATAP BISHNOI ADVOCATE

राम लाल श्रीराम
 10/10/18 नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकारान
 राजेन्द्र कुमार
 तिलक चन्द
 सुभाष चन्द

गवाह
 धरमराज श्री वल्लभ
 10/10 नोखा

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिशापी अधिकारी
 नगर पालिका, नोखा




राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रसारित अधिभार	
1. आवाजवादी	₹ 50000
2. गैर आवाजवादी	₹ 50
100	
2	
हस्ताक्षर स्टाम्प मैण्डर	

- शपथ पत्र -

मनके राजेश पुत्र/पति श्री श्री नारायण जाति मैहल निवासी नोखा मण्डल
तहसील नोखा जिला बीकानेर प्रथम पक्ष एवं अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी नगर
पालिका नोखा द्वितीय पक्ष तहसील नोखा जिला बीकानेर के है। जो कि हम पक्षकरण निम्नलिखित
इकारार करते है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकारान का दिगर खातेदार के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 24, 27, 28
29, 30, 43 तादादी 9.06 हैक्टर भूमि वाके नोखा मण्डी से है। जिसमें हम प्रथम
पक्षकारान 1.14 हिस्सा है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष नगरपालिका नोखा को कस्बे के पश्चिमी हिस्से के गंदा पानी सीवर लाईन
के माध्यम से कस्बे से बाहर छोड़ने के लिए भूमि की आवश्यकता है। हम प्रथम पक्षकारान सह
खातेदारान की सहमति से अपने हिस्से की भूमि में गंदा पानी छोड़ने के लिए द्वितीय पक्ष को
देने में सहमत है।
3. यह कि पक्षकारान के मध्य निम्न शरायते तय हुई है -
(क) यह कि प्रथम पक्षकारान खेत खसरा नम्बर 24, 27, 28, 29, 30, 43 तादादी 9.06 हैक्टर भूमि
वाके नोखामण्डी में निहित अपना 1.14 हिस्सा तादादी 2.26 हैक्टर भूमि गंदा पानी
छोड़ने हेतु नगर पालिका को एक वर्ष के बर्षज 60000/- (अखरे साठ हजार मात्र)
मुआवजा राशि पर देना तय पाया है।
(ख) द्वितीय पक्ष नगर पालिका नोखा गन्दे पानी को खुला छोडे और किसी को आगे सफ्लाई पर
ठेका न दे तो एकत्रित पानी पर नगर पालिका नोखा को मच्छर निरोधक दवा छिड़कनी
होगी।
(ग) यह कि द्वितीय पक्ष नगर पालिका को गंदा पानी चलान करने के लिए कच्ची नाली बनाने
का अधिकारी होगा। इसमें हम प्रथम पक्षकारान को किसी प्रकार उज, ऐतराज न होगा और
न करेंगे।
(घ) यह कि मुआवजा राशि द्वितीय पक्ष नगर पालिका को एक वर्ष की अग्रिम देनी होगी।
(ङ) यह कि हम प्रथम पक्षकारान ने अपने हिस्से की भूमि गंदा पानी छोड़ने के लिए द्वितीय पक्ष
नगर पालिका नोखा को दो वर्ष की अवधि के लिए देना तय हुआ है। समयावधि पक्षकारान
की सहमति से मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर बढ़ायी जा सकेंगी।
(च) यह कि निर्धारित समयावधि पूर्व पक्षकारान छोड़े गये गंदे पानी एवं निकासी में किसी प्रकार
की बाधा/रुकावट पैदा नही करेंगे।
(ज) यह कि मेरे हिस्से कि खाली भूमि पर खेती करू तो नगर पालिका को कोई ऐतराज नही होगा।
यह कि मुआवजा राशि मात्र दिनांक 16/8/2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।
यह कि उपरोक्त शरायतो पर प्रथम पक्षकारान भूमि देने एवं द्वितीय पक्ष भूमि लेने में सहमत है।
यह कि हम सभी पक्षकारान उक्त भूमि की मुआवजा राशि श्री राजेश/श्री नारायण
को एक मुश्त भुगतान करने के लिए सहमत है।
यह कि हम पक्षकारान उपरोक्त शरायतो पर पाबन्द रहेंगे।
लिहाजा हम पक्षकारान ने आपसी सहमति से सही होश हवाश में बिना किसी नरो पते एवं
अंगुठा दशाव के उपरोक्त अनुबन्ध का प्रारूप कम शब्दों में लिखवा दिया है तथा इसे पढ़कर
अंगुठा समझकर सही होना स्वीकार करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगुठा रुबरु गवाहान कर
ताकि सनद रहे वक्त पर काम आवे।



राजेश
श्री नारायण
मनके देव

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकारान

राजेश
श्री नारायण
मनके देव

गवाह

अंगुठा
अंगुठा
अंगुठा

प्रमाणित प्रतिलिपि

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा।

विषय — नगर पालिका नोख क्षेत्र के वार्ड नम्बर 05 व 07 में स्थित
ट्रिटमेंट प्लांट के गन्दे पानी से हुए नुकासान का मुआवजा
दिलाने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा स्वामित्व सुदा खेत खसरा नम्बर 32
तादादी 5.92 हैक्टर भूमि नगर पालिका नोखा के वार्ड नम्बर 05 व 07 में निर्मित ट्रिटमेंट
प्लांट से पूर्वी कॉर्नर पर स्थित है। नगर पालिका द्वारा अपने ट्रिटमेंट प्लांट के गन्दे पानी को
पूर्वी दिशा में स्थित हरिजनो के खेत को लीज पर लेकर गन्दा पानी छोड़ा जा रहा है जिस
खेत से पानी ऑवर फ्लोव होकर मेरे स्वामित्व सुदा खेत में आने लग गया है। जिससे मेरे खेत
में बोई हुई गेहु व मेथी की फसल का नुकसान हो चुका है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मेरे खेत में बिजाई की गई गेहु व मेथी की
फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाने का श्रम करावे।

दिनांक :-

विनित तापड़िया
पति

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

विनित तापड़िया
प्रार्थी
नितिमा

(विनित पुत्र श्री राधेश्याम तापड़िया)
नितिमा पत्नि श्री विनित तापड़िया

Y.M. Lal
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

प्रेषक :-

तहसीलदार

नोखा (बीकानेर) राजस्थान

फोन : 01531-220067

प्रेषित :-

श्रीमान् अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका नोखा

क्रमांक :- मू०अ०/२०१९/५००९

दिनांक ०६-१२-२०१९

विषय :- नगरपालिका नोखा क्षेत्र के वार्ड नम्बर ०७ के स्थित ड्रीमैन्ड प्लान्ट के गन्दे पानी का निस्तारण कायदा

प्रसंग :- श्रीमान् भूमी देवी पत्नी श्रीधराम जागरण जी पूर्वना पत्र दिनांक २१/११/१९ व पूर्व पत्र दिनांक ५-६-२०१९

R.R.N
635
06-12-19

उपरोक्त विषयानुसार प्रायोगिक प्रबन्धना प्रबन्धन में अ. आभिलेख निरीक्षण हेतु नोखा मण्डी एवं पटवारी एवं नोखा मण्डी की संयुक्त टीम द्वारा जाँच करने पर पाया दिनांक ३०/११/२०१९ को उक्त ड्रीमैन्ड प्लान्ट से पानी के फ्लोव होकर खेत (खण्ड ५०५/३१, ५०३/३१, ५०२/३१ एवं खण्ड ३२ में गिराव हो जाने से उक्त खड़ी फसल व कटाई कर के काट इकट्ठी की गई फसल का उकेशन हुआ जिसकी फसल को पटवारी एवं अ. आभिलेख निरीक्षण द्वारा जाँच करी की जा आवश्यक कार्रवाई हेतु निजकाजी जारी है।

अतः ड्रीमैन्ड प्लान्ट से पानी गिराव की सज्ज का निवारण तत्काल करें। एवं की गई कार्रवाई से उक्त इस्तफाल करने को अनुरोध किया।

विपिन
नोखा
बीकानेर

- संलग्न :-**
- १) भूखण्ड आभिलेख प्रबन्धनी भूमी देवी - (५)
 - २) पटवारी एवं अ. आभिलेख निरीक्षण का सप्ले रीपोर्ट द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रपत्र (५)

दीप
तहसीलदार (मू०अ०)
नोखा

प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा

श्रीमान नरेशीलाल मधेकर
गोला

OK
21/12

विषय: 30/11/19 को गोलापल्ली ट्रीटमेंट प्लांट के कचरे से पाठ के खेतों में गंदा पानी गले काकर।

मधेकर

सादर निवेदन है कि 30/11/19 को आठ गोलापल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट के कचरे से पाठ के खेतों में गंदा पानी गला गया जिससे पाठ के खेतों में काश्तू न की डकड़ फलने लगे इससे जिनकी पैका रिपोर्ट ताल मर श्रीमानजी की जवाब पेश है।

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधिसापी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

Zamy
21/12/19
पत्रापी गोलापल्ली

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

फर्द मौका रिपोर्ट

दिनांक 30/11/19

स्थान: नोखा

आज दिनांक 30/11/19 को नगरपालिका नोखा के डीपेटेड प्लांट रोधी का इकटा हुआ ~~गन्ना~~ गन्ना पानी के कटाव से रवेत खन 404 रुकका 2.96 हेक्टर (खातेध्व-शुलीदेवी पति श्रीधराम जातिजाट ला. लखुणा खातेध्व) में पानी इकटा होने के खेत जलमग्न हो गया जिससे खेत में काटकर इकट्टी हुई फसल खराब हो गई। फसल जो खराब हुई उसका विकरण इस प्रकार है (कच्ची 1.00 हेक्टर मिचरी सिरी काटकर इकट्टी की हुई थी जो पानी में डूब गई) (2) तिल 0.25 हे. जिसको काटकर इकट्टा की हुई थी जो पानी में डूब गई) (3) मोह 1.00 हे. जो इकट्टा किया व पानी में डूब गया। इस प्रकार समस्त खेत जलमग्न होने के पशु चारा, पाला भी गल्ट हो गया है अनुमानित फसल अनुमान 6 मि. कच्ची, 6 मि. मोह, 2 मि. तिल व पशु चारा नुकसान हुआ। रिपोर्ट तैयार का- श्रीधराम जी के साथ प्रेषित

21/11/19
 पंजाबी नोखा

प्रमाणित प्रतिलिपि
 4/4
 अधिशाही अधिकारी
 नगर पालिका, नोखा

श्रीधराम
 P.T. (श्रीधराम व
 नोखा) (पुखाराम)
 30/11-19

क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

जई नोका रिपोर्ट

दिनांक - 30/11/19
स्थान: नोका नगरिका

आज दिनांक 30/11/19 को नगरपालिका नोका के डीप्लोमेट लाइट
का इन्क्यू डुआ गढा पानी के कवक के खर खान 32 (किगिट 300
राद्येशमान जाति नापडिपा 18 3.00 है. निमित्त पनि किगिट जाति नापडिपा
18 2.92 है (का. नोका नगरिका) में पानी इन्क्यू होके रत खर गलकक धे
गामा थ जिले टाल ही नै कोरि गार फल गेई 2.50 है व मी 1.25
हेस्टे पानी नै डूब गछ। फल के कोये डुर डि डुर थ गिठे
फल डिखाई नही डे रही थ नोका रिपोर्ट नगर नगरिका
की केवले प्रथ थ

प्रमाणित प्रतिलिपि
आधिसाधी अधिकारी
नगर पालिका, नोका

जाय
30/11/19
पजाय नोका नगरिका
एन.डी.ग. डुआर
(कारनगर)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

जई नोक सिपार

दिनांक 30/11/19
स्थान: नोखा नदी तीरा

आज दिनांक 30/11/19 को गणराज्यिक नौसना के डीपेटे लार
कई इकठ्ठा हुआ बाडा पानी के बराब से खेत अरु 500² (दो) साराण कुज
पुरखापण जाणि जाए बा. साधण) 403 (पुरखापण कुज पुरखापण-बाणि गार
बा. साधण) में पानी इकठ्ठा होण के खेत गलामन के गार
जिधे पाला काटकुडु पुखोने के लिए रखा हुआ था जो पानी के
दूब नौसना व सार्थक नष्ट हो गार।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिराजी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

30/11/19
प. ज. नोखा नदी

सिपाहरी

R.L. नोखा नदी
30-11-19

30/11/19

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)



कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नोखा

बीकानेर रोड नोखा (बीकानेर) राजस्थान

दूरभाष - कार्यालय-01531-220034 ईमेल - kums.nokha@rajasthan.gov.in

क्रमांक : SP-2

दिनांक : 16-12-19

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नोखा।

विषय : कृषि जिन्सों के भाव के संबध में।
प्रसंग : पत्र क्रमांक 7844 दिनांक 16.12.2019 के कम में।


उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा मांगे गये भावों की सूचना निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	दिनांक	जिन्स नाम	उच्चतम	न्यूनतम
1	16.12.2019	मोट	5301	4000
2	16.12.2019	ग्वार	3753	3200
3	16.12.2019	इसब	9276	8425
4	16.12.2019	गेहूँ	2061	2061
5	16.12.2019	मूंग	6350	6300
6	16.12.2019	चना	4000	4000
7	16.12.2019	तिल	9800	9000
8	16.12.2019	मूंगफली	4783	3680
9	14.12.2019	बाजरा	1950	1950
10	22.11.2019	मैथी	4500	4500

नोट : उक्त भाव निलाम पंजिका के अनुसार है एवं उक्त भावों में किसी प्रकार के कर शामिल नहीं है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

4/2
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


सचिव 16-12-19

/कृषि उपज मण्डी समिति
नोखा (बीकानेर)



क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

186
15/8/2020

आकस्मिक व्यय बिल नगरपालिका मण्डल, नोखा (राज.)

उप वाउचर का क्रमांक	व्यय का वर्णन तथा विशिष्ट स्वीकृति की अपेक्षा वाले व्ययों के लिए प्राधिकारी की आज्ञा संख्या व दिनांक	राशि रु. पैसे
	<p>आय व्यय का शीर्षक तथा मद</p> <p>मुआवजा राशि आदेशानुसार निम्नांकित को संलग्न N/S विवरण एवं मुआवजा आवेदन अनुसार वाई न. 7 स्थित ट्रीटमेंट लाइन नगरपालिका पानी ओवर फ्लो होकर इनके खेत में जाने पर कृषि जिनियों के हुए नुकसान की मुआवजा राशि 1,67,715/- का भुगतान करने बाबत।</p> <p>① श्री विनित ग. राधे राम तापडि. प्र. = 83857/- ② श्रीमती निनिमा ज. विनित तापडि. प्र. = 83857/-</p> <p style="text-align: right;">1,67,715/-</p>	<p>1,67,715/-</p>
<p>305532 15/8/20</p>	<p>य 83857/-</p> <p>श्रीमती निनिमा ज. विनित तापडि. प्र.</p>	<p>1,67,715/-</p>
<p>305534 15/8/20</p>	<p>य 83857/-</p> <p>श्रीमती निनिमा ज. विनित तापडि. प्र.</p>	<p>1,67,715/-</p>

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

- (1) मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस बिल में प्रभारित व्यय को नगरपालिका के हित का उचित प्रकार ध्यान रखते हुए भी नहीं टाला जा सका व्ययों का भुगतान कर दिया है।
- (2) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि विशिष्ट परिस्थितियों से आय व्यय के शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के मासिक अनुपातिक व्यय से साधारणतया अधिक व्यय किया जाना आवश्यक कर दिया है तथा यदि वार्षिक प्रावधान के व्यय में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना हुई तो प्रावधान की स्वीकृति प्राप्त कर ली जावेगी।
- (3) मैं प्रमाणित करता हूँ कि आय व्यय के स्वीकृति प्रावधान के अनुपातिक व्यय से कोई अधिक व्यय नहीं हुआ है।

चाहिए व एक को काट दिया जाना

क्रमांक.....


नाम.....

भुगतान कीजिए रु.


167,715/-

(अपर एक लाख सड़क हजार सात सौ पंद्रह)

जांच लिया गया


अध्यक्ष
नगर पालिका, नोखा


अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


लेखपाल क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

क
व से
पत्र व
06.12.20
हल्का नो
30.11.2019
नम्बर 404/
से उसमें खर
नुकसान हुआ



AASTHA ENVIRO PROJECTS PVT. LTD
(An ISO 9001-2015 Certified Company)
Comprehensive Solutions For Water & Waste Water Treatment



25

Ref.: AEPPL/MB/O-1/20

Date : 17/06/2020

To,

M/s. MUNICIPAL BORAD OKHLA

Kind Attn. : Executive Engineer
Subject : Proposal for Repair works of STP 1 MLD

Dear Sir,

Refer to the above mentioned subject; kindly find as below our offer for your kind consideration & perusal :

Scope of Work:-

1. Work as per Schedule A attached
2. Providing necessary documentation for CTE & CTO from Pollution Department. The fee has to be provided by the department.

Price:-

- A. As per Enclosed Annexure-A

Payment Terms:-

1. 50% advance along with the confirmed order.
2. 40% against inspection of material prior to dispatch.
3. 10% against erection & Commissioning.

Other Terms:-

1. PCB Fee shall be paid by Client
2. Necessary Document to be provided by Client.

We hope you will find our offer suitable and favour us with your order.

Best regards,

For AASTHA ENVIRO PROJECTS PVT. LTD.

(C.B. Singh)
(Director)

Mobile No. : +91 98100 21137

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

2nd Floor, Plot No. 543Y, Pace City II, Sec-37, Dist. Gurgaon-122001. Ph.: 0124-4100404
E-mail : aasthaenviro.en@gmail.com, enquiry@aasthagroup.co.in, proposal@aasthagroup.co.in, Website : www.aasthagroup.co.in
Regd. Off.: 6C/324, Varindavan Yojna, R.B. Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India-226016

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

DETAILED WORK SHEET WITH PRICES - STP 1.00 MLD- Annexure-A

S.N.	CHARACTERISTICS / ITEM	PARAMETER	DESCRIPTION	Quantity	Amount(Rs.)
	BOD (PPM)	Outlet			
		< 30			
	COD (PPM)	< 250			
	TSS (PPM)	< 100			
	OIL & GREASE	< 5			
	PH	6.5-8.0			
1	Minor Repair of Screen Chamber		Plastering and Painting Works	1 job	10,000.00
2	Minor Repair of Oil & Grease Trap		Plastering and Painting Works	1 job	30,000.00
3	Minor Repair of Collection Tank		Plastering and Painting Works	1 job	30,000.00
4	Minor Repair of Aeration Tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
5	Minor Repair of Settling Tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
6	Minor Repair of Chlorine Contact Tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
4	Sewage Transfer Pump(New)		Capacity : 50 Cubic Meter, Head - 10 Meter. Make - Kirloskar/ Equivalent	2 (1W + 1SB)	250,000.00
5	Filter Feed Pump(New)		Capacity : 65 Cubic Meter, Head - 30 Meter, . Make - Kirloskar/ equivalent	2 (1W + 1SB)	200,000.00
6	Air Blower(New)		Type - Twinlobe Rotatory, Capacity - 800 cubic meter/Hr, Pressure -.5 kg/ Cm2, Make - Beta/GND/Airvac. Kirloskar Motor	2 (1W + 1SB)	420,000.00
7	Airation /Air Diffusion System(New)		Tanks - Collection/ Sludge/ Aeration, Type: Coarse. make: 3E	1 Lot	150,000.00
8	Sludge Recirculation Pump(New)		Capacity - 25 cubic meter/Hr, Head - 10 meter, Make - kirloskar/ Equivalent	2 (1W+1SB)	150,000.00
9	Disinfectant System(New)		Capacity : 50 lts/Hr. Tank Size - 500 Lts, No's - 2, Make - Milton Roy/ Rainbow	2 (1W+1SB)	150,000.00
10	Activated Carbon Filter(repair)		Repair and painting work of Existing Filter Units with addition of filter Media	1 Job	250,000.00
11	Dual Media Filter(Repair)		Repair and painting work of Existing Filter Units with addition of filter Media	1 Job	150,000.00
12	Electronic Flow Meter		Type - Electro-Magnetic, Capacity : 65 KL/HR, No's - 1, Make - Aster/Equivalent	2 Nos.	150,000.00
13	UV Lamp and Panel Repair		Repair for Existing Uv lamp	1 Nos.	200,000.00
14	Online PH Meter		Range - 2 -12, No's- 2, Make - Max, Countronics, Aster	2	60,000.00
15	MCC Starter Panel(Repair)		Repair of Existing MCC Panel	1 Job	150,000.00
16	Interconnection Pipe(New)		Type - C Class, Make - Jindal/ Tata/ Prince/ Finolex	1 Job	500,000.00
17	MBBR Media for Aeration Tank		100 m3, 400 m2 Surface Area Media, Make: 3E/MM Aqua	100 m3	1,550,000.00
18	Installation for New Supplied Equipments		Making of Foundations and Power arrangements	1 Job	200,000.00
19	Contingency Charges for CTE & CTO		Necessary Documentation shall be provided	1 Job	300,000.00
19	Transportation, if any				100,000.00
			Total STP		5,150,000.00

PAYMENT TERMS

- 50% advance along with the confirmed order.
- 40% against inspection of material prior to dispatch.
- 10% against erection & Commissioning.

TERMS & CONDITIONS

Taxes

Extra as per actual.

Loading & Unloading at Site

Scope of Client.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

> COMPLETION PERIOD

90 - 120 days after completion of Civil Works in all

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिराज्य अधिकारी
नगर पालिका, नोखा



AASTHA ENVIRO PROJECTS PVT. LTD

(An ISO 9001-2015 Certified Company)

Comprehensive Solutions For Water & Waste Water Treatment



Ref.: AEPPL/MB/O-1/20

Date : 17/06/2020

To,

M/s. MUNICIPAL BORAD OKHLA

Kind Attn. : Executive Engineer
Subject : Proposal for Repair works of STP 1 MLD

Dear Sir,

Refer to the above mentioned subject; kindly find as below our offer for your kind consideration & perusal :

Scope of Work:-

1. Work as per Schedule A attached
2. Providing necessary documentation for CTE & CTO from Pollution Department. The fee has to be provided by the department.

Price:-

- A. As per Enclosed Annexure-A

Payment Terms:-

1. 50% advance along with the confirmed order.
2. 40% against inspection of material prior to dispatch.
3. 10% against erection & Commissioning.

Other Terms:-

1. PCB Fee shall be paid by Client
2. Necessary Document to be provided by Client.

We hope you will find our offer suitable and favour us with your order.

Best regards,

For AASTHA ENVIRO PROJECTS PVT. LTD.

(C.B. Singh)
(Director)

Mobile No. : +91 98100 21137

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिकाशी अधिकारी
नगर पालिका, राजस्थान

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बीकानेर (राजस्थान)

2nd Floor, Plot No. 543Y, Pace City II, Sec-37, Dist. Gurgaon-122001, Ph.: 0124-4100404

E-mail : aasthaenviro.er@gmail.com, enquiry@aasthagroup.co.in, proposal@aasthagroup.co.in, Website : www.aasthagroup.co.in

Regd. Off.: 6C/324, Varindavan Yojna, R.B. Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India-226016

DETAILED WORK SHEET WITH PRICES - STP 1.00 MLD- Annexure-A

S.N.	CHARACTERISTICS / ITEM	PARAMETER Outlet	DESCRIPTION	Quantity	Amount(Rs.)
	BOD (PPM)	< 30			
	COD (PPM)	< 250			
	TSS (PPM)	< 100			
	OIL & GREASE	< 5			
	PH	6.5-8.0			
1	Minor Repair of Screen Chamber		Plastering and Painting Works	1 job	10,000.00
2	Minor Repair of Oil & Grease Trap		Plastering and Painting Works	1 job	30,000.00
3	Minor Repair of Collection Tank		Plastering and Painting Works	1 job	30,000.00
4	Minor Repair of Aeration Tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
5	Minor Repair of Settling tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
6	Minor Repair of Chlorine Contact Tanks		Plastering and Painting Works	1 job	50,000.00
4	Sewage Transfer Pump(New)		Capacity : 50 Cubic Meter, , Head - 10 Meter, Make - Kirloskar/ Equivalent	2 (1W + 1SB)	250,000.00
5	Filter Feed Pump(New)		Capacity : 65 Cubic Meter, Head - 30 Meter, , Make - Kirloskar/ equivalent	2 (1W + 1SB)	200,000.00
6	Air Blower(New)		Type - Twinlobe Rotatory, Capacity - 800 cubic meter/Hr, Pressure - 5 kg/ Cm ² , Make - Beta/GND/Airvac- Kirloskar Motor	2 (1W + 1SB)	420,000.00
7	Airation /Air Diffusion Sysytem(New)		Tanks - Collection/ Sludge/ Aeration, Type: Coarse, make: 3E	1 Lot	150,000.00
8	Sludge Recirculation Pump(New)		Capacity - 25 cubic meter/Hr, Head - 10 meter, Make - kirloskar/ Equivalent	2 (1W+1SB)	150,000.00
9	Disinfectant System(New)		Capacity - 50 lts/Hr, Tank Size - 500 Lts, No's - 2, Make - Milton Roy/ Rainbow	2 (1W+1SB)	150,000.00
10	Activated Carbon Filter(Repair)		Repair and painting work of Existing Filter Units with addition of filter Media	1 Job	250,000.00
11	Duel Media Filter(Repair)		Repair and painting work of Existing Filter Units with addition of filter Media	1 Job	150,000.00
12	Electronic Flow Meter		Type - Electro-Magnetic, Capacity - .65 KL/HR, No's - 1, Make - Aster/Equivalent	2 Nos.	150,000.00
13	UV Lamp and Panel Repair		Repair for Existing Uv lamp	1 Nos.	200,000.00
14	Online PH Meter		Range - 2 -12, No's - 2, Make - Max, Countronics, Aster	2	60,000.00
15	MCC Starter Panel(Repair)		Repair of Existing MCC Panel	1 Job	150,000.00
16	Interconnection Pipe(New)		Type - C Class, Make - Jindal/ Tata/ Prince/ Finolex	1 Job	500,000.00
17	MBBR Media for Aeration Tank		100 m ³ , 400 m ² Surface Area Media, Make: 3E/MM Aqua	100 m ³	1,550,000.00
18	Installation for New Supplied Equipments		Making of Foundations and Power arrangements	1 Job	200,000.00
19	consultancy Charges for CTE & CTO		Necessary Documentation shall be provided	1 Job	300,000.00
19	Transportation, if any				100,000.00
Total STP					5,150,000.00

PAYMENT TERMS

- 50% advance along with the confirmed order.
- 40% against inspection of material prior to dispatch.
- 10% against erection & Commissioning.

TERMS & CONDITIONS

Taxes

Extra as per actual.

Loading & Unloading at site


Scope of Client.

> **COMPLETION PERIOD**

90 - 120 days after completion of Civil Works in all

प्रमाणित प्रतिलिपि


 अधिकारी
 नगर पालिका, नोखा


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)


Meeting Notice

Water supply and sewerage works in **Nokha town** of district Bikaner is proposed under Phase-IV of RUIDP. City Level Committee (CLC) meeting is scheduled under chairmanship of District Collector, Bikaner in meeting hall of Collectorate Bikaner on 06.08.2018 at 11:30 AM for finalization/ approval/ consent on proposed works. Power Point Presentation for proposed work will be made in the meeting.

Meeting Venue : Meeting hall of Collectorate Bikaner

Meeting Date/ Time : 11:30 AM on 06.08.2018

Your presence in the meeting is requested.



(D K Mittal)
Member Secretary (CLC),
Executive Engineer,
RUIDP, PIU, Bikaner

Dated : 31/07/2018


No. PIU/BIK/2018-19/ 586 - 595

Copy to following for information and necessary action please:

1. Hon'ble Member of Parliament, Bikaner, C-66, Kathuria colony, Bikaner
Tel. : (0151) - 2230260 (email : arjunrammeghwal@gmail.com)
2. Hon'ble MLA, Nokha constituency, 380, civil lines, Jaipur, email:
rajassembly@nic.in
3. PS to Project Director, RUIDP, Jaipur
4. PS to District Collector, Bikaner
5. Hon'ble Chairman/ Dy Chairman, Municipal Council/ Board, Nokha
6. Superintending Engineer, PWD, Bikaner, email: piu_bikaner@rediffmail.com
7. Superintending Engineer, PHED, Bikaner, email: sephedbkn@gmail.com
8. Senior Town Planner, Town Planning department, Bikaner, email:
townplanningbikaner@rediffmail.com
9. Commissioner/ Executive Officer, Municipal Council/Board, Nokha, email:
mbnokhabkn@gmail.com
10. M/s Creative Consultant, Jaipur
11. Lpcal NGOs/ CBOs

प्रमाणित प्रतिलिपि

4-1
अधिसाधी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा



Executive Engineer,
RUIDP, PIU, Bikaner


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

RUIDP

Office of Executive Engineer

Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (A Unit of RUDSICO)
PIU (Phase 3 - Program Loan), Bikaner

Tel No., Fax No., email : eeplublk@gmail.com, web site : www.ruidp.rajasthan.gov.in

Minutes of City Level Committee meeting held on 06.08.2018 under chairmanship of District Collector, Bikaner for finalization of works of water supply & waste water in Nokha town under RUIDP Phase-IV

City Level Committee meeting was held on 06.08.2018 under chairmanship of District Collector, Bikaner for finalization of works of water supply & waste water in Nokha town under RUIDP Phase-IV.

List of Officials, public representative & stack holders, who attended the meeting, is enclosed at Annexure 'A'.

It was initially briefed out that RUIDP will take up water supply & waste water works in Nokha town under Phase-IV under ADB assistance.

Important provisions considered in water supply/ sewerage works in towns were informed to all Stack-holders as below:

General Provision:

- Full coverage of town under municipal boundary.
- Digitization of all assets to be created.
- Road restoration in full width of up to 4 M wide road.
- Operation & maintenance for 10 years under the contract
- Performance based management contract.
- O & M charges during 10 years O & M period will be borne by concerned line agency

Water Supply Works:

- Continuous pressurized water supply.
- Single combined contract of water supply & sewerage works to have better execution planning of water supply/ sewerage works to avoid repeated damage of roads.
- Reduction in Non-Revenue Water (NRW) on DMA based approach.
- SCADA for fully centralized control for operation and monitoring of water production & distribution.
- 100% metered water connection.

Waste Water Works :

- 80% of water supply is considered as sewage generation.
- Sewer line in town has largely been laid. Remaining sewer network to cover the uncovered portion with integration of existing system and new STPs for balance capacity have been taken up in this towns.
- Installation of sensors in manholes to detect overflow of manholes.
- Provisions of trenchless method for laying of pipe lines for deep sewers/ road crossings/ busy road etc for safety reasons and to minimize inconvenience to public.

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसूची अधिकारी
नगर पंचायत, नोखा

११-१३



Government of Rajasthan
Office of Executive Engineer

Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (A Unit of RUDSICC
PIU (Phase 3 - Program Loan),

98-101, GAD Quarters, Near Nagnechiji Temple, Pawanpuri, Bikaner-334001 (Raj.)
Tel No., Fax No., email : eeplubik@gmail.com, web site : www.ruidp.rajasthan.gov.in

- Provision of Over Head Reservoir (OHSR) for reuse of treated effluent in agriculture etc.
- 33% charges of water bills as sewerage charges to be collected by concerned ULB.
- Revenue of ULB through sale of treated effluent and collection of sewerage charges for self-sustainability.

Power Point Presentation of scope of works considered in the DPRs of water supply / sewerage works with tentative cost of project of Rs 154.24 Cr (WS - Rs 99.00 Cr + WW - Rs 55.24 Cr) in the town is made. It was also informed that land for proposed head-works/ Pumping stations/ STPs have been made available.

During presentation, following suggestions/ comments were received as below:

- District Collector suggested that proposal for storm water drainage should also be prepared and if possible, may be included in this project. DPR should be ready so that work may be taken up even on later stage as per availability of funds.

It was deliberated that DPR is being prepared by the consultant appointed by the Municipal board Nokha. Therefore, Chairman/ EO, Municipal Board, Nokha were requested for preparation of DPR of drainage by the consultant.

- Chairman, Nokha requested to sort out problem of disposal of storm water as there is no natural disposal point for storm water. It was informed that this issue will be examined and possibility of alternate solution will be explored.

- SE, PWD suggested that road restoration should be done simultaneously after laying of pipe line.

It was deliberated that initially contractor will be allowed in 5 DMAs for the work and further DMA (stage wise) will be given to contractor after completion of earlier DMAs. Sufficient provision to keep road restoration within prescribed time period after laying of pipe line and also ceiling of pending road restoration has been taken in the contract. Provision of penalty for per day per km has also been considered in the contract for keeping pending road restoration beyond specified limit.

Meeting ended with vote of thanks to the chair

(D.K. Mittal)

Member Secretary (CLC),
Executive Engineer,
RUIDP, PIU, Bikaner

प्रमाणित प्रतिलिपि

आनुर पालनी, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

18/1/13

Government of Rajasthan
Office of Executive Engineer
Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (A Unit of RUDSI)
PIU (Phase 3 - Program Loan)
98-101, GAD Quarters, Near Nagrechji Temple, Pawanpuri, Bikaner 334002 (Raj.)
Tel No.: Fax No.: email: ee@biu.raj.gov.in, web site: www.ruidp.rajasthan.gov.in

No. PIU/BIK/2018-19/ 668-686

Dated: 20/08/2018

Copy to following for information and necessary action please:

1. Hon'ble Member of Parliament, Bikaner, C-66, Kathuria colony, Bikaner
Tel.: (0151) - 2230260 (email: arjunacameghwal@gmail.com)
2. Hon'ble MLA, Nokha constituency, 380, civil lines, Jaipur, email:
rajassembly@nic.in
3. PS to Project Director, RUIDP, Jaipur
4. PS to District Collector, Bikaner
5. Hon'ble Chairman/ Dy Chairman, Municipal Council/ Board, Nokha
6. Superintending Engineer, PWD, Bikaner, email: pio_bikaner@rediffmail.com
7. Superintending Engineer, PHED, Bikaner, email: sephedbkn@gmail.com
8. Superintending Engineer, (WS/WW), RUIDP, PMU, Jaipur
9. Senior Town Planner, Town Planning department, Bikaner, email:
townplanningbikaner@rediffmail.com
10. Commissioner/ Executive Officer, Municipal Council/Board, Nokha, email:
mfnokhabkn@gmail.com
11. M/s Creative Consultant, Jaipur (Email: cdullar@gmail.com)
12. Local NGOs/ CBOs

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

Executive Engineer,
RUIDP, PIU, Bikaner

18/3/18

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बिकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर)

29

मण्डल बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 02.11.2017 को दोपहर: 12:15 बजे नगर पालिका मण्डल, नोखा की विशेष बैठक नगर पालिका भवन में श्रीमान नारायण झंवर अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्न लिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान नारायण झंवर	अध्यक्ष
2. श्रीमान निर्मल भूरा	उपाध्यक्ष
3. श्रीमान देवकिशन जोशी	सदस्य
4. श्रीमति संजू देवी	सदस्या
5. श्रीमति रेखा देवी	सदस्या
6. श्रीमान सीताराम पंचारिया	सदस्य
7. श्री सन्तोष कुमार	सदस्य
8. श्रीमति गजराज कंवर	सदस्या
9. श्रीमान जगदीश भार्गव	सदस्य
10. श्रीमान मुरली सुथार	सदस्य
11. श्रीमान मंगलाराम	सदस्य
12. श्री बाबूलाल जैन	सदस्य
13. श्रीमान श्रीनिवास झंवर	सदस्य
14. श्रीमति निशा झंवर	सदस्या
15. श्रीमति उषा देवी लखारा	सदस्या
16. श्रीमान मनोज डूडी	सदस्य
17. श्रीमति सीमा भादू	सदस्या
18. श्रीमान मनोज औझा	सदस्य
19. श्रीमति प्रवीन	सदस्या
20. श्रीमान रामलाल सिंवर	सदस्य
21. श्रीमति विमलेश शर्मा	सदस्या
22. श्रीमान जगदीश मांझू	सदस्य
23. श्रीमान रामेश्वरलाल छीपा	सदस्य
24. श्रीमान अशोक बिश्नोई	सदस्य
25. श्रीमान रामावतार सोनी	सदस्य
26. श्रीमति अलका	सदस्या
27. श्रीमान श्रवणराम ज्याणी	सदस्य
28. श्रीमति कल्याणी	सदस्या
29. श्रीमान राजेश छीपा	सदस्य
30. श्रीमति सुमन भुरा	सदस्या
31. श्री अशोक कुमार लुणावत	मनोनित सदस्य
32. श्री देवकिशन चाण्डक	मनोनित सदस्य
33. श्रीमति रीना देवी	मनोनित सदस्या

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

उपरोक्तानुसार कोरम पूर्ण होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

लगातार 2

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

एजेण्डा संख्या 1 - सार्वजनिक हित में वार्ड नं. 07 व 32 के गन्दा पानी निस्तारण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लांट बनाने के लिए भूमि क्रय बाबत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में उपस्थित सदस्य महानुभावों को अवगत कराया गया कि पालिका मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 03.10.2017 के प्रस्ताव संख्या 02 व 03 में लिये गये निर्णयानुसार वार्ड नम्बर 07 एवं 32 में गंदे पानी के निस्तारण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लांट बनाये जाने के लिए पालिका द्वारा वार्ड नम्बर 07 में पूर्व के ट्रीटमेन्ट प्लांट से आगे भूमि क्रय करने के लिए तथा वार्ड नम्बर 32 में पूर्व में अधिग्रहित भूमि से आगे आबादी से दूर क्षेत्र में नये ट्रीटमेन्ट प्लांट बनाने हेतु भूमि क्रय करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना क्रमांक 8437-48 दिनांक 04.10.2017 जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई। उक्त सूचना अनुसार प्रस्ताव चाहे जाने पर 15 दिवस की अवधि में एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अधिशायी अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तावों के बन्द लिफाफे मण्डल के समक्ष खोले जाने हेतु प्रस्तुत किये गये, जो खोले जाने पर वार्ड नम्बर 7 के लिए श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल चाण्डक निवासी रोड़ा द्वारा रोही रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 रकबा 5.68 हैक्टेयर असिंचित भूमि के दस्तावेज व शपथ-पत्र सहित प्रति हैक्टेयर 10.27 लाख की दर प्राप्त हुई है। तथा वार्ड नम्बर 32 के लिए श्री हनुमानाराम पुत्र श्री लालूराम बिश्नोई निवासी ग्राम माडिया द्वारा रोही माडिया के खसरा नम्बर 273 रकबा 2.46 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 276 रकबा 2.55 हैक्टेयर कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर असिंचित भूमि के दस्तावेज व शपथ-पत्र सहित प्रति हैक्टेयर 10.00 लाख की दर प्राप्त हुई है।

इस पर श्री बाबूलाल जैन सदस्य महानुभाव द्वारा विरोध प्रकट कर बताया कि उक्त भूमि क्रय के लिए दरें अधिक प्राप्त हुई हैं, इस दर से कम दर पर भी भूमि क्रय की जा सकती है। जिसके लिए भूमि मालिक से दर प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायेगी। श्री श्रीनिवास झंवर, सदस्य महानुभाव ने बताया कि पालिका द्वारा आम सूचना प्रकाशित कराये जाने पर भी दरों के एक-एक ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि इस दर से कम दर पर कोई प्रस्ताव देने के लिए तैयार नहीं है।

बाद विचार विमर्श मण्डल में उपस्थित सदस्य महानुभावों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड नं. 07 एवं 32 में गन्दे पानी का निस्तारण के लिए आमजन की समस्या का समाधान किया जाना अति आवश्यक है। इसलिये श्री बाबूलाल जैन सदस्य द्वारा प्राप्त दरों से कम दरों पर भूमि विक्रय के प्रस्ताव सात दिवस में अधिशायी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो प्रस्ताव मण्डल में प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कम दरों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तो वार्ड नम्बर 7 के लिए श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल चाण्डक निवासी रोड़ा द्वारा रोही रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 रकबा 5.68 हैक्टेयर असिंचित भूमि की दर प्रति हैक्टेयर 10.27 लाख एवं वार्ड नम्बर 32 के लिए

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, रोड़ा

लगातार3..

(32)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर)

क्रमांक - न.पा.नोखा/2017/13966

दिनांक 08-2-18


-: ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु भूमि क्रय कमेटी गठन आदेश :-

नगर पालिका नोखा के वार्ड नं 7 एवं 32 के गन्दे पानी की समस्या के निस्तारण हेतु ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने हेतु भूमि क्रय करने हेतु भूमि की आवश्यकता, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की उपयोगिता, प्राप्त दरों की औचित्यता आदि की जानकारी के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमेटी का गठन किया जाना है।

अतः उक्त भूमि क्रय हेतु नगर पालिका नोखा में निम्नांकित सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है।


- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. श्री भवानीशंकर व्यास, | सहायक लेखाधिकारी-।। नगर पालिका नोखा। | अध्यक्ष |
| 2. श्री नरेश नागपाल | सहायक अभियन्ता, नगर पालिका नोखा। | सदस्य |
| 3. श्रीमान जगदीश भार्गव, | सदस्य नगर पालिका नोखा | सदस्य |
| 4. श्रीमति सुमन भूरा, | सदस्या नगर पालिका नोखा | सदस्य |
| 5. श्री मो. सरफराज, | कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका नोखा। | सदस्य |
| 6. श्री प्रदीप सैनी | वरिष्ठ प्रारूपकार नगर पालिका नोखा। | सदस्य |

उक्त कमेटी प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण कर यह रिपोर्ट करे कि कितने क्षेत्रफल में भूमि की आवश्यकता रहेगी, कितने एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाना उचित होगा, भूमि की प्राप्त दरों के संबंध में औचित्यता की टिप्पणी एवं वर्तमान बाजार दरों आदि की जानकारी एवं अन्य इससे सम्बन्धित औपचारिकताओं की पूर्ति की जाकर उक्त संबंध में 07 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही कर संयुक्त बैठक आयोजन कर निर्णय लिया जावे।



अध्यक्ष

नगर पालिका, नोखा



अधिसाषी अधिकारी


नगर पालिका, नोखा

क्रमांक - न.पा.नोखा/2017/13967-13973

दिनांक 08-2-18


प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान नारायण झंवर, अध्यक्ष, न.पा.नोखा।
2. श्री भवानीशंकर व्यास, स.लेखा।। व अध्यक्ष ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।
3. श्रीमान जगदीश भार्गव, सदस्य न.पा.नोखा व सदस्य ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।
4. श्रीमति सुमन भूरा, सदस्या न.पा.नोखा व सदस्या ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।
5. श्री नरेश नागपाल सहा.अभि., न.पा.नोखा व सदस्य ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।
6. श्री मो. सरफराज, कनि.अभि. न.पा.नोखा व सदस्य ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।
7. श्री प्रदीप सैनी, वरि.प्रारूपकार न.पा.नोखा व सदस्य ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय कमेटी न.पा.नोखा।




अधिसाषी अधिकारी

नगर पालिका, नोखा




प्रमाणित प्रतिलिपि



अधिसाषी अधिकारी

नगर पालिका, नोखा



क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर)

क्रमांक:—न.पा.नो./ 2018/14400

दिनांक 14-2-18

83

श्रीमान तहसीलदार,
उप पंजीयक, नोखा

विषय – ग्राम रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 की डीएलसी दर की प्रमाणित प्रति देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर पालिका नोखा क्षेत्र के दक्षिणी-पश्चिमी कोर्नर पर पूर्व में निर्मित ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की भूमि से दक्षिणी ओर लगभग 2 कि.मी. दूरी पर ग्राम रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 की भूमि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु खरीद की जानी है। जिसके लिए भूमि की दसरे संबंधी जानकारी/रिकॉर्ड की आवश्यकता है।

अतः निवेदन है कि ग्राम रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 की सिंचित एवं असिंचित भूमि की डीएलसी दर क्या है ? की जानकारी अथवा रिकॉर्ड 5 प्रमाणित प्रतियां में उपलब्ध करवाने का कष्ट करावे तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि वर्तमान में किस बाजार दर से क्रय-विक्रय की जाती है, की भी जानकारी दिलाने का श्रम करावे। ताकि राज्य सरकार को भूमि क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाया जा सके।

संलग्न – संबंधित खसरे की जमाबन्दी व नजरी नक्शा

अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

Recd.
प्रवीण सुथार
14-2-18

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Point No-12

जमाबन्दी (घेबट/खतोनी) (प्रतिनिधि)

घर नं-26 (बी)
(विदिने विस्व 153 ए)

सकत नाम - माहिवा
 सतवार हुम्ना - बीकानेर
 पृ. नं. वि. वि. - मोथा बही
 गहरीन - मोथा
 जिला - बीकानेर

सकत - 2076 - 2079
 भूमि शासक का नाम - राज. सरकार
 घेबटन की ईकाई - ईकोटर
 घाता संख्या पुरा - 255
 घाता संख्या पुराना - 148

842/388	0.1260	आवासीय	0.1260	0.00
860/383	0.5059	आवासीय	0.5059	0.51
		2		
921/857	0.0695	आवासीय	0.0695	0.06
		2		
956/845	0.5265	आवासीय	0.5265	1.05
		1		

कुल घेबट - 22 22.8780 22.8780 32.0400

यह सतार केवल जमीनी की जानकारी के लिए है।
 इसका उपयोग किसी भी प्रकार के घाटी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 सतार जारी करने की तिथि - 8-Aug-2019



क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 बीकानेर (राजस्थान)



Vivo V15Pro
 AI Triple Camera


जमावन्दी (चिबट/खजोनी) (प्रतिलिपि)


(दिखिये दिवस 153 ए)

ग्राम का नाम :- पाविया
 पटवार हल्का :- बीकानेर
 भू. वि. नि. :- मोवा बंदी
 तहसील :- मोवा
 जिला :- बीकानेर

सन्वत् :- 2076 - 2079
 भूमि सन्वत् का नाम :- राज. नरवत्
 क्षेत्रफल की ईकाई :- ईकट्टेवा
 धारा संख्या तथा :- 255
 धारा संख्या पुराना :- 148

समस्तकार का नाम :-
 श्री. नरवत्तिका मोवा का. सं. 224, 250, 262, 263, 264, 304, 307, 317, 331, 339, 348, 349, 446, 501, 503, 504, 522, 535 हिस्सा- पूर्ण
 संख्या के लिए

संख्या संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	चिबट/खजोनी	सन्वत् के हिसाब से प्रमाणित	दिखिये
1030/922	0.7600	खजोनी	0.7600 0.00	स्वीकृत मासिककरण : 697 15/07/2019 त्वावा कावेर	
1069/629	0.0300	खजोनी	0.0300 0.06		
1070/625	0.1200	खजोनी	0.1200 0.24		
1					
1					
384	2.2100	खजोनी	2.2100 2.21		
385	3.7000	खजोनी	3.7000 3.70		
628	0.1000	खजोनी	0.1000 0.20		
633	0.7600	खजोनी	0.7600 1.52		
647/1	0.3000	खजोनी	0.3000 0.60		
648	0.2500	खजोनी	0.2500 0.50		
2					
730/596	2.8500	खजोनी	2.8500 5.70		
783/596	0.5900	खजोनी	0.5900 0.59		
784/596	2.0400	खजोनी	2.0400 2.04		
785/596	2.4896	खजोनी	2.4896 2.49		
786/386	0.0204	खजोनी	0.0204 0.02		
816/431	0.2601	खजोनी	0.2601 0.26		


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण
 बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा, (बीकानेर)

क्रमांक :- न.पा.नो/भूमि/2020-2021/1682

दिनांक:-30/06/2020

श्रीमान् मुख्य अभियंता
आर.यू.आई.डी.पी.
राज. जयपुर।

विषय:- वार्ड नम्बर 07 ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि स्वामित्व दस्तावेज
उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर पालिका नोखा के वार्ड नम्बर 32 व 7 में गन्दे पानी की निकासी हेतु आर.यू.आई.डी.पी. फेज चतुर्थ अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट निर्माण के लिये 55.24 करोड़ राशि के कार्य स्वीकृत हुए हैं। वार्ड नं. 32 के एस.टी.पी. हेतु भूमि स्वामित्व दस्तावेज पूर्व में भिजवाये जा चुके हैं।

अतः निवेदन है कि वार्ड नं. 07 के एस.टी.पी. हेतु ग्राम रोड़ा के खसरा नम्बर 1574 रकबा 5.6800 हैक्टर भूमि नगर पालिका के स्वामित्व के सबूत स्वरूप जमाबन्दी व खसरा नक्शा की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है। कृपया शीघ्र ही एस.टी.पी. स्थापित किये जाने की आगामी कार्यवाही करने का श्रम करावे।

संलग्न:- जमाबन्दी व खसरा नक्शा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

नगरपालिका
 ग्राम - रोडा
 नु - मोखा
 पैमाना 1cm = 40 मी.



खण्ड (खतांश) संख्या	
नया	पुरान
1	2
608	596



प्रत्येक प्रतिलिपि
 क्रमांक 51.09 दिनांक 30/04/2020

पटवारी हस्ताक्षर
 राजस्थान - मोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिराषी अधिकारी
 नगर पालिका, मोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

जमाबन्दी नाम: श्री क्षेत्रफल: 1 पृष्ठ संख्या: 2076
 जमाबन्दी नं.: श्री भू.अभि.नि. क्षेत्र: छवड़ा
 जमाबन्दी संख्या: 2076-2079 दिनांक: 1/10/20

खेती (खतबंदी) संख्या	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम, पिता, जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषिकाल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यापक विशिष्टता जिसके पक्ष में भूमि अन्तर्गत हो	टिप्पणी
							दर	रकम			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
598	श्री सरदार	नजरपालिडा, नौल्या दिसमा डूंग लेखमा डे डिस्ट ५.वि.६. ना.ज. 1743, 1803, 1807, 2043	1574	5.6800	व्यापारी -1	5.6400	2	11.36			

सत्य - प्रतिलिपि 06
 P-35 क्रमांक 5.1.93.दिनांक 20.2.20
 पटवारी इच्छा...
 तहसील-नाखा (पीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
 अधिशाही अधिकारी
 नागर पाण्डिका, नाखा

श्री आर्य
 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष सं. 0141-2229314, 2226728

ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsgreji.in, www.cmar-india.org

क्रमांक: भूमि/प.7 (इ)(82)डीएलबी/18/नोखा/2069

दिनांक : 30/5/2018

अधिशाषी अधिकारी,

नगर पालिका,

नोखा (बीकानेर)।

विषय : वार्ड नं0 32 में सीवर लाईन के गन्दे पानी के निस्तारण हेतु भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपके पत्रांक : 15198 दिनांक 05.03.18 एवं 519 दिनांक13.04.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा गंदे पानी की समस्या के निस्तारण हेतु वार्ड न. 32 के उत्तरी 5 एम.एल.डी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु ग्राम माडिया के खसरा न. 273 रकबा 2.46 हैक्टर एवं खसरा न. 276 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.01 हैक्टर असिंचित भूमि श्री हनुमान राम पुत्र श्री लालूराम जाति बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत की गयी 10.00 लाख रुपये प्रति हैक्टर की दर पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अन्तर्गत भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

मण्डल बैठक दिनांक 02.11.2017 में वार्ड नं. 32 के सीवर लाईन के गन्दे पानी के निस्तारण हेतु श्री हनुमानराम पुत्र श्री लालूराम जाति बिश्नोई द्वारा ग्राम माडिया के खसरा नम्बर 273 रकबा 2.46 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 276 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.01 हैक्टर असिंचित भूमि रोही ग्राम माडिया की पालिका को 10.00 लाख रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से पालिका को देने के प्रस्ताव पर भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त मानते हुये प्रस्तावित दर पर भूमि क्रय करने की स्वीकृति दी गयी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.83 के तहत उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी प्रश्नगत भूमि की उक्त दरों को उपयुक्त बताया है।

प्रकरण का विधिक परीक्षण कराये जाने पर "उक्त भूमि को भूमि आवाप्ति अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत आवाप्त नहीं की जा रही है क्योंकि उक्त अधिनियम में भूमि आवाप्त करने में काफी समय लगता है इस कारण नगरपालिका द्वारा आपसी रजामंदी से भूमि क्रय करने हेतु नगर परिषद के मण्डल व उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा खसरा नम्बर 273 रकबा 2.46 हैक्टर, ख.नं. 276 रकबा 2.75 हैक्टर एवं ख.नं. 648/243 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल रकबा 5.28 हैक्टर असिंचित भूमि के खातेदार श्री हनुमान राम पुत्र श्री लालूराम जाति बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा दर 10.00 लाख रुपये प्रति हैक्टर की दर को उपर्युक्त पाया गया है"।

लेखा अनुभाग की टिप्पणी के अनुसार "प्रकरण में यदि क्रय की जाने वाली भूमि की दर नियमानुसार उचित है तथा इस हेतु नगरीय निकाय के बजट में प्रावधान उपलब्ध होने के साथ ही इसका व्यय वहन करने हेतु सक्षम है, तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है"।

भूमि शाखा
30/5/18

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

84
30/5/18

अतः राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका, नौखा के प्रस्तावानुसार उपखण्ड अधिकारी, नौखा एवं विभाग के विधि तथा लेखानुभाग की राय को दृष्टिगत रखते हुये नौखा शहर के गंदे पानी की समस्या के निस्तारण हेतु वार्ड न. 32 के उत्तरी 5 एम.एल.डी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये ग्राम माडिया के खसरा न. 273 रकबा 2.46 हैक्टर एवं खसरा न. 276 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.01 हैक्टर असिंचित भूमि श्री हनुमान राम पुत्र श्री लालूराम जाति बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत की गयी दर 10.00 लाख रुपये प्रति हैक्टर की दर पर भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदति है।

आज्ञा से,

(पवन अराड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :

क्रमांक: भूमि/प.7 (ड)(82)डीएलबी/18/नौखा/

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
5. अध्यक्ष, नगर पालिका, नौखा।
6. सुरक्षित पत्रावली।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिशोषी अधिकारी
नगर पालिका, नौखा

(मुकेश कुमार नीना)
अतिरिक्त निदेशक

श्री लालूराम
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दस्तावेज सं. 0141-2229314, 2226728

ईमेल : dilrajasthan@gmail.com वेबसाइट : www.lsgraj.in, www.cmar-india.org

क्रमांक: भूमि/प.7 (इ)(83)डीएलबी/18/नोखा/ 1473

दिनांक : 19/05/2020

अधिकांशी अधिकारी,
नगर पालिका,
नोखा (बीकानेर)।

विषय:- वार्ड नं० 7 में सीवर लाईन के गन्दे पानी के निस्तारण हेतु भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपके पत्रांक : 15197 दिनांक 05.03.18 एवं 7312 दिनांक 27.11.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा नगर पालिका नोखा में गंदे पानी की समस्या के निस्तारण हेतु वार्ड नं० 7 में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु ग्राम रोड़ा के खसरा नं. 1574 में रकबा 5.68 हैक्टेयर असिंचित भूमि खातेदार श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति चाण्डक द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा दर 10.27 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अन्तर्गत भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

नगर पालिका, मण्डल, नोखा की बैठक दिनांक 02.11.2017 में वार्ड नं. 07 के सीवर लाईन के गन्दे पानी के निस्तारण हेतु श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति चाण्डक द्वारा ग्राम रोड़ा के खसरा नं. 1574 में रकबा 5.68 हैक्टेयर असिंचित भूमि रोड़ा की पालिका को 10.27 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पालिका को देने के प्रस्ताव पर भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त मानते हुये प्रस्तावित दर पर भूमि क्रय करने की स्वीकृति दी गयी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.83 के तहत उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी प्रश्नगत भूमि की उक्त दरों को उपयुक्त बताया है।

प्रकरण का विधिक परीक्षण कराये जाने पर "उक्त भूमि को भूमि आवाप्ति अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत आवाप्त नहीं की जा रही है क्योंकि उक्त अधिनियम में भूमि आवाप्त करने में काफी समय लगता है, इस कारण नगरपालिका द्वारा आपसी रजामंदी से भूमि क्रय करने हेतु आमजन से प्रस्ताव आमन्त्रित करने हेतु दिनांक 04.10.2017 को समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के संबंध में श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति चाण्डक द्वारा 10.27 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से भूमि नगर पालिका को देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

लेखा अनुभाग की टिप्पणी के अनुसार "प्रकरण में यदि क्रय की जाने वाली भूमि की दर नियमानुसार उचित है तथा इस हेतु नगरीय निकाय के बजट में प्रावधान उपलब्ध होने के साथ ही इसका व्यय वहन करने हेतु सक्षम है, तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है"।

अतः राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका, नोखा के प्रस्तावानुसार उपखण्ड अधिकारी, नोखा एवं विभाग के विधि तथा लेखानुभाग की राय को

[Type text]


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि


अधिकांशी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

दृष्टिगत रखते हुये नौखा शहर के गंदे पानी की समस्या के निस्तारण हेतु वार्ड न. 7 में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये ग्राम रोड़ा के खसरा नं. 1574 में रकबा 5.68 हैक्टर असिंचित भूमि श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति चाण्डक द्वारा प्रस्तुत की गयी दर 10.27 लाख रूपये प्रति हैक्टर की दर पर भूमि क्रय करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वार्ड नम्बर 07 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि क्रय करने के उक्त समझौते को पुनः एक बार नगर पालिका मण्डल की बैठक में अनुमोदन करवा लिया जावे।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: भूमि/प.7 (ड)(83)डीएलबी/18/नोखा/1474-79 दिनांक : 19/05/2020
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
5. अध्यक्ष, नगर पालिका, नौखा।
6. सुरक्षित पत्रावली।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(अधिसाक्षी अधिकारी)
नगर पालिका, नौखा

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक

(अधिसाक्षी)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा, (बीकानेर)

क्रमांक :- न.पा.नो/भूमि/2020-2021/1682

दिनांक:-30/06/2020

श्रीमान् मुख्य अभियंता
आर.यू.आई.डी.पी.
राज. जयपुर।


विषय:- वार्ड नम्बर 07 ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि स्वामित्व दस्तावेज
उपलब्ध कराने बाबत।


महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर पालिका नोखा के वार्ड नम्बर 32 व 7 में गन्दे पानी की निकासी हेतु आर.यू.आई.डी.पी. फेज चतुर्थ अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट निर्माण के लिये 55.24 करोड़ राशि के कार्य स्वीकृत हुए हैं। वार्ड नं. 32 के एस.टी.पी. हेतु भूमि स्वामित्व दस्तावेज पूर्व में भिजवाये जा चुके हैं।

अतः निवेदन है कि वार्ड नं. 07 के एस.टी.पी. हेतु ग्राम रोड़ा के खसरा नम्बर 13.4 रकबा 5.6800 हैक्टर भूमि नगर पालिका के स्वामित्व के सबूत स्वरूप जमाबन्दी व खसरा नक्शा की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है। कृपया शीघ्र ही एस.टी.पी. स्थापित किये जाने की आगामी कार्यवाही करने का श्रम करावे।
संलग्न:- जमाबन्दी व खसरा नक्शा।

प्रमाणित प्रतिलिपि


अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


अधिसाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, JAIPUR

40

Account Details For Payment Through RTGS/NEFT

Name of Account holder:	Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board
Account No:	333332312207205 (Valid for one transaction only.)
IFSC Code :	BARB0EXTNEH
Bank Name :	Bank of Baroda
Bank Branch :	IDS, Jhalana Doongri, Jaipur
Date (DD/MM/YYYY) :	23/12/2020
Amount :	Rs. 60000

If you transfer payment through NEFT/RTGS in this Account Number your Payment will be verified Automatically.	अगर आप इस खाता संख्या में NEFT/RTGS के द्वारा अपने चालान की राशि का भुगतान करते है तो आपका भुगतान Auto Verify हो जायेगा।
This Account Number is valid for one transaction only.	यह खाता संख्या केवल एक भुगतान हेतु ही मान्य है।


बिल पारित किया वास्तु रूपया.....60,000/-


अधिकारी


कलेक्टर

प्रमाणित प्रतिलिपि


अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Rajasthan State Pollution Control Board

FORM I



Application for Consent to Establish under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

Draft Letter

Print Date: 12/23/2020

Date: 23/12/2020

From:-

Sewage Treatment Plant
Village Madiya, Zone 1
Madiya Bikaner

To,
Member Secretary4,
Institutional Area, Jhalana
Doongari, Jaipur-302
004Phone: 0141-
5159600,5159695

Unit ID: 109177

Application ID: 273024

Application Type: CTE AIR/WATER - Fresh

Disposing Authority: Head Office [PLG]

Address: 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Sir,

I/We hereby apply for obtaining

Consent, in Form No. I under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) for establishing an industrial plant/ operation/ process/ activity plant owned by Sewage Treatment Plant (Name of Director/ proprietor/ partner etc.)

Part I: General Information

A. Details of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process:-

a. Name of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Sewage Treatment Plant
b. Name and Designation of the Applicant	RAJURAM JAT Executive Officer
c. Correspondence Address	Village Madiya, Zone 1
Village/ Area	Madiya
Street/ Locality/ City	Madiya
Tehsil	Nokha
District	Bikaner
State	Rajasthan
Pin Code	334803
Telephone No. (including STD Code)	0-01531220032
Mobile No.	9783911198
E-Mail Address	rajuramjat.lsg@rajasthan.gov.in
Fax No.	-
d. Site Address	Madiya Sewage Treatment Plant Village Madiya, Zone 1
Village/ Area	Madiya
Street/ Locality/ City	Madiya
Tehsil	Bikaner
District	Nokha
Plot No./ Khasra No.	-
Pin Code	334803
Telephone No. (including STD Code)	0-
Mobile No.	0153122003

प्रमाणित प्रतिलिपि

4-1
अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Fax No.	0-
Email Address	rajuramjat.lsg@rajasthan.gov.in
e. Plot Area/ Mining Lease Area	N/A N/A
f. Land classification	
(a) Industrial or	No
(b) Commercial, or	No
(c) Agriculture, or	No
(d) Residential, or	No
(e) Other than above	Converted
g. Whether covered under Aravalli Notification	N/A
h. Whether requiring authorization under the rules dealing with Hazardous Waste notified under Environment (Protection) Act, 1986 and quantity of used/ waste oil is ≥ 5 KL	
i. Whether covered under EIA Notification, 2006	N/A
j. Gross Built up Area	N/A
k. Consent is applied for (Entire Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process or Part thereof- please specify)	Fresh
l. Category of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Red
m. Scale of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Small
n. Status of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Proposed
o. Total Capital Investment (without depreciation) in Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process (as per Project Report/ CA Certificate) for which consent is applied (Rs. in lacs)	1330
p. Date of Commissioning	15/04/2021
q. Total number of employees (including contractual workers) in the Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process (maximum)	N/A
r. Total number of residents in the colony; if any within the premises of the establishment	N/A N/A
s. Installed Capacity of the Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	
	N/A
t. No. of working days in a year	0
u. No. of shifts per day	0
v. Electric connection number and name	N/A

B. Surrounding Details:-

S. No.	Which of the following features exist within 1 km of the site	
1.	Human Settlement (Village/ City/ Town)	N/A
2.	Water body	N/A
3.	Industrial area (Specify)	N/A
4.	Any major industry (Specify)	N/A

Part II: Information related to Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process

(a) Raw Material Details:

S. No.	RM_NAME	Nature	Name	Consumption (With Unit)	Nature (Solid, Liquid, Gas)	Storage Capacity (With Unit)
98087	Sewage	Liquid	Sewage	7, MLD	Liquid	7, MLD

(b) Product/ By Product/ Service/Activity details

S. No.	Name	Quantity/ Capacity (With Unit)	Product or By Product or Service	Storage Capacity
5088	Sewage Treatment Plant	7, MLD	Service	7

(c) Electric Energy/Water Requirement (Kilo Watt/Kilo liter per Day)

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि
 अधिशाही अधिकारी
 नगर पालिका, नोखा

Not Applicable...

(d) Water Consumption Details (Kilo liter per Day)

SrNo	Source of Water	Boiler / Cooling	Domestic	Industrial Process	Others
159311	PHED Supply	0	1	0	0

Part III: Information related to Effluent Generation, Treatment and Disposal

(a) Effluent Generation & Disposal Details

S. No.	Type of Effluent(Trade/Domestic)	Quantity of Effluent Generated (KLD)	Recycled in the Process/ Activity (KLD)	Disposed/ Discharged (KLD)	Mode of Disposal
81433	Domestic Sewage	0.5	0	0.5	Into Sewer

(b) Mode Of Treatment and disposal

N/A

(c) Type of treatment system installed

N/A

Part IV: Information related to Air Pollution and Control Systems

(a) Air Emission Details

A- Process Stacks

S. No.	Stack attached to process	Stack height from ground level (in meter)	Details of Air Pollution Control Measures	Probable pollutants	Infrastructural monitoring facility (Yes/ No/ Not required)
80739	D.G. Set	6.00	ACOUSTIC ENCLOSURE, ADEQUATE STACK HEIGHT,	Particulate Matter	Yes

B- Flue gases stacks

Not Applicable...

C- Fugitive emission

Not Applicable...

D- Details of D. G. Sets

S.No.	Rating (KVA/ KW)	Status of Acoustic enclosure	Height of Stack (in meter) Above roof	Height of Stack (in meter) Above Ground Level	Infrastructure facilities for stack emission monitoring (Yes/ No/ Not required)
48547	125 (KVA)	Yes	3	6	Y

Part V: Information related to Solid Waste:

Not Applicable...

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

Part VI: Information related to Consent Fee Deposition

- I/ We, hereby declare that the information furnished above is correct to the best my/ our knowledge
- I/We, hereby submit that in case of change, either of the point of characteristic of discharge or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for consent shall be made and until such consent is granted no change shall be made.
- I/We, understand the State Board and its official authorized in this behalf by the State Board can make necessary changes/ modification in the data provided by me/ us while deciding the application on the basis of the information provided by me/ us.

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


Date:-
Place

Signature
Name
Designation
Seal

44

Note:

- I. Consent application must be accompanied with the fees as specified in the notifications issued by the State Government time to time.
- II. Consent fee shall be paid through Bank Draft payable in favour of the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board or through ECS or through e-Mitra/ CSC or Bank Challan or any other facility as per orders issued by the State Board time to time.
- III. Documents as per check list as specified by the State Board shall be submitted along with the application.
- IV. All documents including consent application form submitted to the State Board shall be signed/ attested by the proprietor/ authorized signatory along with seal.


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, JAIPUR

Account Details For Payment Through RTGS/NEFT

Name of Account holder:	Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board
Account No:	333332312207206 (Valid for one transaction only.)
IFSC Code :	BARB0EXTNEH
Bank Name :	Bank of Baroda
Bank Branch :	IDS, Jhalana Doongri, Jaipur
Date (DD/MM/YYYY) :	23/12/2020
Amount :	Rs. 48000

If you transfer payment through NEFT/RTGS in this Account Number your Payment will be verified Automatically.	अगर आप इस खाता संख्या में NEFT/RTGS के द्वारा अपने चालान की राशि का भुगतान करते हैं तो आपका भुगतान Auto Verify हो जायेगा। -
This Account Number is valid for one transaction only.	यह खाता संख्या केवल एक भुगतान हेतु ही मान्य है।

बिल पारित किया वास्तु रूपया..... 48000/-

 अधि० अधिकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि

 अधिशाही अधिकारी
 नगर पालिका, नोखा


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 बीकानेर (राजस्थान)

Rajasthan State Pollution Control Board

FORM I



Application for Consent to Establish under
section 21 of the

Air (Prevention and Control of Pollution) Act,
1981

Draft Letter

Print Date: 12/23/2020

From: -

Date: 23/12/2020

Sewage Treatment Plant
Village Madiya, Zone 1
Madiya Bikaner

To,
Member Secretary4,
Institutional Area, Jhalana
Doongari, Jaipur-302
004 Phone: 0141-
5159600,5159695

Unit ID: 109177

Application ID: 273027

Application Type: CTE AIR/WATER - Fresh

Disposing Authority: Head Office [PLG]

Address: 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-
302 004

Sir,

I/We hereby apply for obtaining

Consent, in Form No. 1 under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) for establishing an industrial plant/ operation/ process/ activity plant owned by Sewage Treatment Plant (Name of Director/ proprietor/ partner etc.)

Part I: General Information

A. Details of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process:-

a. Name of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Sewage Treatment Plant
b. Name and Designation of the Applicant	RAJURAM JAT Executive Officer
c. Correspondence Address	Village Madiya, Zone 1
Village/ Area	Madiya
Street/ Locality/ City	Madiya
Tehsil	Nokha
District	Bikaner
State	Rajasthan
Pin Code	334803
Telephone No. (including STD Code)	0-01531220032
Mobile No.	9783911198
E-Mail Address	rajuramjat.lsg@rajasthan.gov.in
Fax No.	-
Site Address	Charkara Sewage Treatment plant Village Charkara, Zone 2
Village/ Area	Charkara
Street/ Locality/ City	Charkara
Tehsil	Bikaner
District	Nokha
Plot No./ Khasra No.	
Pin Code	334803
Telephone No. (including STD Code)	0-
Mobile No.	0153122003

प्रमाणित प्रतिलिपि

42
अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका, नोखा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Fax No.	0-
Email Address	rajuramjat.lsg@rajasthan.gov.in
e. Plot Area/ Mining Lease Area	N/A N/A
f. Land classification	
(a) Industrial or	No
(b) Commercial, or	No
(c) Agriculture, or	No
(d) Residential, or	No
(e) Other than above	No
g. Whether covered under Aravalli Notification	No
h. Whether requiring authorization under the rules dealing with Hazardous Waste notified under Environment (Protection) Act, 1986 and quantity of used/ waste oil is ≥ 5 KL	No
i. Whether covered under EIA Notification, 2006	No
j. Gross Built up Area	0
k. Consent is applied for (Entire Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process or Part thereof- please specify)	Fresh
l. Category of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Red
m. Scale of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Small
n. Status of Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	Proposed
o. Total Capital Investment (without depreciation) in Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process (as per Project Report/ CA Certificate) for which consent is applied (Rs. in lacs)	760
p. Date of Commissioning	15/04/2021
q. Total number of employees (including contractual workers) in the Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process (maximum)	N/A
r. Total number of residents in the colony; if any within the premises of the establishment	N/A N/A
s. Installed Capacity of the Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process	N/A
t. No. of working days in a year	0
u. No. of shifts per day	0
v. Electric connection number and name	N/A

B. Surrounding Details:-

S. No.	Which of the following features exist within 1 km of the site	
1.	Human Settlement (Village/ City/ Town)	
2.	Water body	N/A
3.	Industrial area (Specify)	
4.	Any major industry (Specify)	

Part II: Information related to Industry/ Activity/ Service/ Operation/ Process

(a) Raw Material Details:

S. No.	RM_NAME	Nature	Name	Consumption (With Unit)	Nature (Solid, Liquid, Gas)	Storage Capacity (With Unit)
98096	Sewage	Liquid	Sewage	4, MLD	Liquid	4, MLD

(b) Product/ By Product/ Service/Activity details

S. No.	Name	Quantity/ Capacity (With Unit)	Product or By Product or Service	Storage Capacity
5088	Sewage Treatment Plant	4, MLD	Service	4

(c) Electric Energy/Water Requirement (Kilo Watt/Kilo liter per Day)

4-3
अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका, मोर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Not Applicable...

(d) Water Consumption Details (Kilo liter per Day)

SrNo	Source of Water	Boiler / Cooling	Domestic	Industrial Process	Others
159316	PHED Supply	0	1	0	0

Part III: Information related to Effluent Generation, Treatment and Disposal

(a) Effluent Generation & Disposal Details

S. No.	Type of Effluent(Trade/Domestic)	Quantity of Effluent Generated (KLD)	Recycled in the Process/ Activity (KLD)	Disposed/ Discharged (KLD)	Mode of Disposal
81435	Domestic Sewage	0.5	0	0.5	Sewer Line

(b) Mode Of Treatment and disposal

N/A

(c) Type of treatment system installed

N/A

Part IV: Information related to Air Pollution and Control Systems

(a) Air Emission Details

A- Process Stacks

S. No.	Stack attached to process	Stack height from ground level (in meter)	Details of Air Pollution Control Measures	Probable pollutants	Infrastructural monitoring facility (Yes/ No/ Not required)
80742	D.G. Set	6.00	ACOUSTIC ENCLOSURE, ADEQUATE STACK HEIGHT,	Particulate Matter	Yes

B- Flue gases stacks

Not Applicable...

C- Fugitive emission

Not Applicable...

D- Details of D. G. Sets

S.No.	Rating (KVA/ KW)	Status of Acoustic enclosure	Height of Stack (in meter) Above roof	Height of Stack (in meter) Above Ground Level	Infrastructure facilities for stack emission monitoring (Yes/ No/ Not required)
48549	125 (KVA)	Yes	3	6	Y

Part V: Information related to Solid Waste:

Not Applicable...

प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका, नोखा**Part VI: Information related to Consent Fee Deposition**

1. I/ We, hereby declare that the information furnished above is correct to the best my/ our knowledge

2. I/We, hereby submit that in case of change, either of the point of characteristic of discharge or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for consent shall be made and until such consent is granted no change shall be made.

3. I/We, understand the State Board and its official authorized in this behalf by the State Board can make necessary changes / modification in the data provided by me/ us while deciding the application on the basis of the information provided by me/ us

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


Date:-
Place

Signature
Name
Designation
Seal

49

Note:

- I. Consent application must be accompanied with the fees as specified in the notifications issued by the State Government time to time.
- II. Consent fee shall be paid through Bank Draft payable in favour of the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board or through ECS or through e-Mitra/ CSC or Bank Challan or any other facility as per orders issued by the State Board time to time.
- III. Documents as per check list as specified by the State Board shall be submitted along with the application.
- IV. All documents including consent application form submitted to the State Board shall be signed/ attested by the proprietor/ authorized signatory along with seal.


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर) राज.

क्रमांक :- न.पा.नोखा/भूमि/2019-20/6122

दिनांक : 30/12/2020

श्रीमान् मुख्य अभियंता,
स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान जयपुर

विषय :- नोखा शहर के लिए राज्य सरकार द्वारा आरयूआईडीपी फेज चतुर्थ के तहत चौबीसो घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर सीवरेज हेतु 155 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।


प्रसंग :- आपका दूरभाष निर्देश दिनांक 30.12.2020 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक टेलीफोनिक सूचना अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरयूआईडीपी फेज चतुर्थ के तहत नोखा शहर के लिए चौबीसो घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर सीवरेज हेतु 155 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के संबंध में चाही गयी वस्तुस्थिति निम्नानुसार सादर प्रेषित है :-


1. RUDSICO द्वारा RUIDP Phase IV के अन्तर्गत नोखा शहर में जलापूर्ति का कार्य एवं गन्दे पानी की निकासी के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर की अध्यक्षता में सिटी लेवल कमेटी (CLC) की बैठक दिनांक 06.08.2018 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में नोखा शहर में 24 X 7 पानी सप्लायी के लिए 99.00 करोड़ एवं शहर के गन्दे पानी की निकासी कार्य के लिए सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट निर्माण के लिए 55.24 करोड़ राशि के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें वार्ड नं. 7 एवं 32 में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिए नगरपालिका द्वारा भूमि उपलब्ध करवायी जाने पर ही STP निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
2. नगर पालिका नोखा द्वारा वार्ड नं. 07 एवं वार्ड नं. 32 में RUDSICO Phase IV के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु भूमि क्रय की जाकर आगामी कार्यवाही हेतु RUDSICO को पालिका पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 30.06.2020 द्वारा दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं एवं उक्त ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं जलापूर्ति का कार्य हेतु डीपीआर भी प्रस्तुत कर दी गयी है। RUDSICO स्तर पर आगामी कार्यवाही जैरकार है।
3. नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नं. 05 व 07 की सीमा पर द्वारा वर्ष 2011-12 में 1 MLD का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाया गया था, जहां वर्तमान में जलभराव की क्षमता 4 MLD की होने के कारण उक्त एसटीपी काफी समय से खराब पड़ा है। गत व इस वर्ष में बरसाती मौसम में उक्त एसटीपी के समीप के खेतों में गन्दा पानी ओवरफ्लो होकर चला गया, जिसके कारण लोगों की फसलें/अन्य नुकसान होने पर पालिका द्वारा समय-समय पर काश्तकारों को मुआवजा आदि का भुगतान करना पड़ता है।
4. RUDSICO Phase IV के अन्तर्गत नोखा शहर के जलापूर्ति व एसटीपी का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो कार्य मौके पर अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। विभाग के उच्चाधिकारियों से जानकारी करने पर टेण्डर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया गया है।


अतः निवेदन है कि नोखा शहर में उपर्युक्त स्वीकृत एसटीपी का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित एजेन्सी को आदेशित करने का श्रम करावें ताकि पालिका को अनावश्यक मुआवजा राशि व गन्दे पानी की समस्या से निजात मिल सके।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


प्रमाणित प्रतिलिपि

42
अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा



अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका, नोखा




24-Feb-2021 3:11:20 pm
 27.53895752N 73.46791373E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:10:56 pm
 27.53895422N 73.46791235E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:11:16 pm
 27.53895743N 73.46791368E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7




24-Feb-2021 3:10:59 pm
 27.53895748N 73.46791345E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7


राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 बीकानेर (राजस्थान)




24-Feb-2021 3:10:41 pm
 27.53894223N 73.46790453E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:11:03 pm
 27.53895744N 73.46791347E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:11:32 pm
 27.53895757N 73.46791395E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:10:50 pm
 27.5389571N 73.46791088E
 Unnamed Road
 Nokha
 Bikaner
 Rajasthan
 STP Nokha ward no. 7



24-Feb-2021 3:12:13 pm
27.59875976N 73.46789805E
Unnamed Road
Nokha
Bikaner
Rajasthan
STP Nokha ward no. 7

Am Lal
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)